परिचालन दिशानिर्देश

और

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

सत्यमेव जयते
Government of India

भारत सरकार

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

जुलाई -**2021**

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पेज न.
1.	प्रस्ताव	**4**
2.	मिशन के उद्देश्य	**4**
3.	मिशन का डिजाइन	**4**
4.	संस्थागत संरचना	**5**
5.	योजना का अधिकार क्षेत्र	**5**
6.	कार्यान्वयन ढांचा	**7**
7.	एनएलएम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यमियों/पात्र संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड	**8**
8.	**योजना की निगरानी**	**8**
9.	उद्यमिता कार्यक्रमों की परियोजना स्वीकृति	**9**
10.	**योजना का वित्त पोषण और निधि प्रवाह**	**10**
11.	**उद्यमिता परियोजना के लिए आवेदन का तरीका**	**11**
12.	**उप-मिशन और विस्तृत दिशानिर्देश**	**14**
13.	उप-मिशन-ग्रामीण कुक्कुट उद्यमिता कार्यक्रम	**14**
14.	उप-मिशन -भेड़ और बकरी नस्ल सुधार और उद्यमिता विकास	**17**
15.	उप-मिशन सुअर पालन नस्ल सुधार और उद्यमिता विकास	**14-27**
16.	आहार और चारा विकास पर उप-मिशन	**28-31**
17.	उप मिशन अनुसंधान और विकास, विस्तार और नवाचा र	
18.	बीमा कंपनी के चयन, पशुओं का बीमा और दावा निपटान के लिए दिशानिर्देश	
19.	परिशिष्ट- I : राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए आउटपुट और आउटकम की रिपोर्टिंग	**39**

20.	परिशिष्ट- II: चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता हेतु घटक के लिए प्रारूप	**42**
21.	परिशिष्ट- III: चारा बीज उत्पादन में सहायता के लिए तिमाही/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप	**44**
22.	परिशिष्ट-: IV: नवाचार तथा अनुसंधान के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप	**45**
23.	परिशिष्ट-: V विस्तार क्रियाकलापों के लिए आईईसी समर्थन के घटक के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र	**46**
24.	**परिशिष्ट**- VI: बीमा कंपनी के चयन के लिए दिशानिर्देश	**47**
25.	**अनुबंध I: ग्रामीण कुक्कुट उद्यमिता के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए पात्र मदों की सांकेतिक सूची**	**64**
26.	**अनुबंध II: भेड़ और बकरी उद्यमिता के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र मदों की एक सांकेतिक सूची**	**65**
27.	**अनुबंध III: सुअर पालन उद्यमिता के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र मदों की सांकेतिक सूची**	**66**
28.	**अनुबंध IV: उद्यमियों के लिए साइलेज बनाने वाली इकाई के लिए वित्त पोषण के लिए पात्र घटकों**	**67**
29.	**अनुबंध V: उद्यमिता के तहत आवेदन जमा करने का प्रारूप।**	**69**
30.	**अनुबंध VI: पात्र इनपुट प्रौद्योगिकी पक्षियों की सांकेतिक सूची**	**72**
31.	**अनुबंध VII: बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा**	
32.	**अनुबंध VIII: बैंक गारंटी जमा करने के लिए प्रोफार्मा**	
33.	**अनुबंध IX: सत्यनिष्ठा अनुपालन के लिए प्रोफार्मा**	
34.	**अनुबंध X: ज़मानत बांड**	
35.	**अनुबंध XI: विभिन्न इनपुट के लिए आपूर्तिकर्ताओं की सांकेतिक सूची**	**73**

परिचालन दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग, वित्तीय वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए, एनएलएम योजना को वित्त वर्ष 2021-22 से संशोधित और पुन: व्यवस्थित किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) की संशोधित योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि और इस प्रकार विकास कार्यक्रम की एक छत्र योजना के तहत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि को लक्षित करना है। अतिरिक्त उत्पादन से घरेलू मांगों को पूरा करने के बाद निर्यात आय में मदद मिलेगी। एनएलएम योजना की अवधारणा असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध उपज के लिए आगे और पीछे की कड़ी बनाने और संगठित क्षेत्र से जोड़ने के लिए उद्यमी को विकसित करना है।

1.2 एनएलएम को यहां वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार पूरे भारत में लागू किया जाएगा।

2. मिशन के उद्देश्य

2.1 एनएलएम निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का इरादा रखता है:

1. छोटे जुगाली करने वाले, कुक्कुट पालन और सुअर पालन क्षेत्र और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार सृजन

2. नस्ल सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि

3. मांस, अंडा, बकरी का दूध, ऊन और चारे के उत्पादन में वृद्धि।

4. चारा बीज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता के माध्यम से मांग को काफी हद तक कम करने के लिए चारे और आहार की उपलब्धता बढ़ाना

5. मांग आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए चारा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना

6. किसानों के लिए पशुधन बीमा सहित जोखिम प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना

7. मुर्गी पालन, भेड़, बकरी, आहार एवं चारे के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना

8. किसानों को गुणवत्तापूर्ण विस्तार सेवा प्रदान करने के लिए सुदृढ़ विस्तार मशीनरी के माध्यम से राज्य के पदाधिकारियों और पशुपालकों का क्षमता निर्माण।

9. उत्पादन लागत को कम करने और पशुधन क्षेत्र के उत्पादन में सुधार के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ावा देना

3. मिशन का डिजाइन

3.1 पुनर्गठित राष्ट्रीय पशुधन मिशन में निम्नलिखित तीन उप-मिशन होंगे:

(क) पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन

(ख) आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन

(ग) नवाचार और विस्तार पर उप-मिशन

3.1.1.पशुधन और कुक्कुट की नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन: व्यक्तिगत, एफपीओ, एफसीओ जेएलजी, एसएचजी, धारा 8 की कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करके कुक्कुट, भेड़, बकरी और सुअर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर के लिए उद्यमिता विकास हेतु और राज्य सरकार को नस्ल सुधार की अवसरंचना ढांचे के लिए भी तीव्र ध्यान देने का प्रस्ताव है।

3.1.2 आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन: इस उप-मिशन का उद्देश्य चारा उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता में सुधार करने के लिए चारा बीज श्रृंखला को मजबूत करना और उद्यमियों को प्रोत्साहन के माध्यम से चारा ब्लॉक / हे बेलिंग / साइलेज बनाने वाली इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना है।

3.1.3 नवाचार और विस्तार संबंधी उप-मिशन: इस उप-मिशन का उद्देश्य भेड़, बकरी, सुअर और चारा और चारा क्षेत्र, विस्तार गतिविधियों, पशुधन बीमा और नवाचार से संबंधित अनुसंधान और विकास करने वाले संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों को प्रोत्साहित करना है। इस उप-मिशन के तहत, केंद्रीय एजेंसियों, आईसीएआर संस्थानों और विश्वविद्यालय फार्मों को क्षेत्र के विकास विस्तार सेवाओं, के लिए आवश्यक अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें पशुपालन और योजनाओं के लिए प्रचार गतिविधियों सहित जागरूकता पैदा

करने के लिए सेमिनार, सम्मेलनों, प्रदर्शन गतिविधियां और अन्य आईईसी गतिविधियाँ शामिल है। पशुधन बीमा और नवाचारों के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी।

3.1.4. योजना का अधिकार क्षेत्र

यह योजना वर्ष 2021-22 से पूरे भारत में लागू की जाएगी।

4. संस्थागत संरचना

4.1. अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) और इसके कार्य:

अधिकार प्राप्त समिति का गठन: सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। समिति के अन्य सदस्य वित्तीय सलाहकार, डीएएचडी, पशुपालन आयुक्त, डीएएचडी के संयुक्त सचिव और चयनित राज्यों के प्रधान सचिव होंगे जो बारी-बारी से 5 क्षेत्रों (उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर-पूर्वी राज्यों) का प्रतिनिधित्व करेंगे और लाइन मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे। अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य सचिव राष्ट्रीय पशुधन मिशन के संयुक्त सचिव होंगे जो एनएलएम के मिशन निदेशक भी होंगे। अधिकार प्राप्त समिति योजना की प्रगति की समग्र निगरानी, योजना दिशानिर्देशों के अनुमोदन, नीति निर्देश प्रदान करने और यदि कोई आवश्यक परिवर्तन हो तो उसे मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार होगी। ईसी के पास परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए परियोजना अनुमोदन समिति को उत्तरदायित्व सौंपने का भी अधिकार होगा।

4.2.परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी):

पीएसी का गठन और इसके कार्य: राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) से प्राप्त परियोजना सहित परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय पशुधन मिशन की अध्यक्षता में पीएसी की स्थापना की जाएगी। समिति में संबंधित राज्य सरकार के विभाग के निदेशक, वित्तीय सलाहकार के प्रतिनिधि, लाइन विभाग के अधिकारी, संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त या एनएलएम डिवीजन के उप सचिव शामिल होंगे। संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त या निदेशक पीएसी के सदस्य सचिव होंगे। ऐसी स्थिति में जहां पीएसी की बैठक संभव नहीं है, पीएसी के अध्यक्ष इस शर्त के साथ परियोजना को मंजूरी दे सकते हैं कि अगले पीएसी में परियोजना को मंजूरी दी जाएगी। पीएसी परियोजना मूल्यांकन और निगरानी इकाई द्वारा मूल्यांकित एसएलईसी से प्राप्त परियोजना की व्यवहार्यता, व्यवहार्यता की जांच, सत्यापन करेगी

और अनुदान जारी करने की सिफारिश करेगी। पीएसी जमीनी स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी। पीएसी को दिशा-निर्देशों में बदलाव का सुझाव देने का भी अधिकार होगा, जिसे अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा

4.3 राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) और इसके कार्य:

4.3.1. एसएलईसी का गठन: राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों के राज्य पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में की जाएगी। एसएलईसी के संयोजक राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक होंगे, जैसा भी मामला हो। समिति के अन्य सदस्यों में पशुपालन के निदेशक या आयुक्त, विभाग के संयुक्त सचिव या उप सचिव, संबंधित जिले के अपर निदेशक, उप निदेशक / जिला पशुपालन अधिकारी, जिनके प्रस्तावों पर विचार किया जाना है और प्रासंगिक क्षेत्र कोई भी तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे ।

4.3.2. एसएलईसी का कार्य: राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी उद्यमिता प्रस्ताव सहित पात्र लाभार्थियों/एजेंसियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी। एसएलईसी अनुमोदन के लिए लाभार्थियों और राज्य एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों की जांच करेगा और विशिष्ट योजना दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के हिस्से और लाभार्थी के योगदान की उपलब्धता की पुष्टि करेगा और इसे पशुपालन और डेयरी विभाग मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के एनएलएम डिवीजन को विचार और अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेगा।

4.3.3.. मेंटरिंग ग्रुप: माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री की अध्यक्षता में सरकारी क्षेत्र के सदस्यों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों / पेशेवरों, निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ छोटे जुगाली करने वालों सुअर पालन और आहार तथा चारा क्षेत्र में काम करने वाले पशुधन किसानों के साथ एक परामर्श समूह की स्थापना की जाएगी। सलाहकार समूह योजना के विभिन्न नवाचारों आदि के कार्यान्वयन के लिए विभाग का मार्गदर्शन करेगा।

4.3.4. विशेषज्ञ समूह: एनएलएम योजना के अनुसंधान और नवाचार घटकों के तहत परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए विभाग, आईसीएआर और संबंधित राज्यों के सदस्यों के साथ पशुपालन आयुक्त (एएचसी) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की जाएगी। विशेषज्ञ समूह पात्र संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रस्तुत परियोजना की व्यवहार्यता, परियोजना की

लागत और संगठन द्वारा प्रस्तावित तकनीकी पहलू और परियोजना के आर्थिक लाभ के संबंध में जांच करेगा। विशेषज्ञ समूह, परियोजना की जांच के बाद, अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ अनुदान के लिए परियोजना की सिफारिश करेगा। विशेषज्ञ समूह आवश्यकता पड़ने पर समूह में विषय वस्तु विशेषज्ञ को भी सहयोजित करेगा।

5. कार्यान्वयन ढांचा

5.1. क्रियान्वयन एजेंसी:

राज्य पशुपालन विभाग के तहत स्थापित राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय पशुधन मिशन को लागू किया जाएगा। इस संबंध में, राज्य पशुपालन विभाग को अपनी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को स्थापित करने या राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन के लिए पहले से स्थापित एजेंसी की पहचान करने की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार में एजेंसी डीएएचडी राज्य कार्यान्वयन के बारे सूचित करेगी। केंद्र का हिस्सा जहां भी पात्र होगा, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से जाएगा।

5.2 एनएलएम योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी का कार्य।

- पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां या संबंधित राज्य सरकार के राज्य पशुपालन विभाग रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से उद्यमियों / पात्र संस्थाओं के नाम आमंत्रित करेंगे।
- उद्यमियों / पात्र संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच की जाएगी और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी अनुसूचित बैंकों या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) आदि जैसे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से परियोजना के लिए शेष वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए उद्यमियों / पात्र संस्थाओं के आवेदन की सिफारिश करेगी।
- एक बार ऋण भाग के वित्तपोषण के माध्यम से उद्यमिता घटकों के लिए परियोजना वित्त पोषण के लिए प्रतिबद्ध हो जाती है तो इसे राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) के समक्ष । अनुमोदन के लिए रखा जाएगा एसएलईसी द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद, परियोजनाओं को एनएलएम के तहत आवेदन अपलोड करने के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
- कार्यान्वयन एजेंसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय शेयर प्राप्त करने के लिए उद्यमिता परियोजना के अलावा एनएलएम के तहत प्रस्ताव भी भेजेगी।
- राज्य कार्यान्वयन एजेंसी उद्यमियों की परियोजनाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी और विभाग को उनकी प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक आधार पर सूचित करेगी।

उद्यमियों के अलावा अन्य परियोजनाओं के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र, वास्वतिक और वित्तीय प्रगति विभाग को अर्धवार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

5.3. एनएलएम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यमियों/पात्र संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड

उद्यमी/पात्र संस्थाओं को उद्यमिता कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा यदि वे निम्नलिखित में से किसी एक मानदंड को पूरा करते हैं:

- उद्यमियों / पात्र संस्थाओं ने या तो प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या प्रशिक्षित विशेषज्ञ हों या परियोजना के प्रबंधन और संचालन में प्रासंगिक क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हों या परियोजना के प्रबंधन और संचलान के संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव के साथ तकनीकी विशेषज्ञ हों।
- उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना के लिए स्वीकृत ऋण मिल गया हो या बैंक द्वारा इसकी वैधता के लिए परियोजना के मूल्यांकन के साथ अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई हो जहां इसका खाता है।
- उद्यमियों/पात्र संस्थाओं के पास अपनी जमीन या पट्टे की जमीन होनी चाहिए जहां परियोजना की स्थापना की जाएगी।
- उद्यमियों/योग्य संस्थाओं के पास केवाईसी के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज होने चाहिए।

5.4 योजना की निगरानी:

डेटा के रखरखाव और ऑनलाइन निगरानी के लिए एमआईएस प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रम की निगरानी की जाएगी। संपत्तियों की निगरानी जीआई टैगिंग के जरिए की जाएगी।

राष्ट्रीय समीक्षा बैठक, क्षेत्रीय समीक्षा बैठक और राज्य समीक्षा बैठक में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य को प्रत्येक तिमाही में योजनाओं की वास्वतिक और वित्तीय प्रगति प्रस्तुत करनी होगी।

5.5 केन्द्रीय एजेंसियों/विश्वविद्यालय फार्मों आदि द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की स्वीकृति:

- संबंधित केंद्रीय एजेंसियां/विश्वविद्यालय फार्म अपने मूल संगठन/विभाग के माध्यम से एनएलएम प्रभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मूल संगठन/विभाग को सहायता प्राप्त करने

के लिए एनएलएम प्रभाग को अग्रेषित करने से पहले परियोजना का अनुमोदन और अनुशंसा करनी चाहिए।

- इस तरह के आवेदन प्राप्त होने पर, संयुक्त सचिव, एनएलएम की अध्यक्षता में गठित परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) परियोजना की संभाव्यता और व्यवहार्यता के आधार पर परियोजना को मंजूरी देगी।
- संबंधित केंद्रीय एजेंसियों/विश्वविद्यालय के फार्मों को हर तिमाही में एनएलएम प्रभाग को योजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति को सूचित करना होगा।

5.6. नवाचार और अनुसंधान तथा विकास के तहत परियोजनाओं का मूल्यांकन: नवाचार और अनुसंधान तथा विकास के तहत परियोजनाएं, जो संबंधित एजेंसी / विश्वविद्यालयों / आईसीएआर और अन्य विश्वसनीय संगठन द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी, विशेषज्ञ समूह द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाएगा और अधिकार प्राप्त समिति द्वारा वित्त पोषण करने के लिए उन पर विचार करने हेतु सिफारिश की जाएगी।

5.7 योजना का वित्त पोषण और निधि प्रवाह

एनएलएम योजना में केंद्र प्रायोजित घटक और केंद्रीय क्षेत्र के घटक दोनों शामिल हैं। प्रत्येक घटक के लिए फंडिंग पैटर्न की व्याख्या की गई है। हालांकि, विशिष्ट घटकों के तहत निधियन के अलावा, विभाग लाभार्थियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने, जागरूकता पैदा करने और लाभार्थियों को बैंक ऋण आदि प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशासनिक लागत के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को निधियन भी प्रदान करेगा।

5.8 उद्यमिता कार्यक्रम के लिए निधि प्रवाह तंत्र: उद्यमिता कार्यक्रम के संबंध में, सिडबी द्वारा ऋण देने वाले अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों जैसे एनसीडीसी आदि को लाभार्थियों के सब्सिडी खाते में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी घटक की प्राप्ति पर सिडबी, ऋण की पहली किस्त जारी होने के बाद उद्यमियों/ पात्र संस्थाओं के उपयुक्त खाते में सब्सिडी की पहली किस्त जारी करेगा। सिडबी को सब्सिडी के लिए समर्पित खाता खोलने की आवश्यकता है और डी.ए.एच.डी को पी.एफ.एम.एस सिस्टम में मैपिंग के लिए सूचित करेगा। प्रत्येक उद्यमिता घटक के लिए सब्सिडी जारी करने के तरीके का उल्लेख किया गया है।

स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, बैक एंडेड सब्सिडी की पहली किस्त सिडबी द्वारा ऋण देने वाले अनुसूचित बैंक को प्रदान की जाएगी जहां लाभार्थी का खाता है। ऐसी स्व-वित्तपोषित

परियोजनाओं की स्वीकृति से पहले, बैंक द्वारा उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा जहां उद्यमियों/ पात्र संस्थाओं का खाता है। सब्सिडी की पहली किस्त तभी जारी की जाएगी जब लाभार्थी ने परियोजना अवसंरचना के लिए लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। सब्सिडी की शेष राशि परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित होने के बाद प्रदान की जाएगी।

स्व-वित्तपोषण मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक लाभार्थियों को सहायता के लिए मांगी गई पूंजीगत सब्सिडी से परे परियोजना की शेष लागत के लिए अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी तीन साल के लिए वैध होगी और पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पक्ष में तैयार की जाएगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। इसके अलावा बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करने या आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है। दिशानिर्देशों के साथ बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप संलग्न किया गया है।

5.8.2. केंद्र प्रायोजित घटकों के लिए निधि प्रवाह:

सबमिशन के तहत एनएलएम योजना के केंद्र प्रायोजित घटकों के लिए निधियां राज्य सरकार के आरबीआई खाते में जारी की जायेंगी। तत्पश्चात, राज्य सरकार को 21 दिनों के भीतर राज्य नोडल एजेंसी / राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के खाते में धनराशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और राज्य का हिस्सा 40 दिनों के भीतर जारी किया जाना है। इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसएस योजना के लिए निधि के संचालन की विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। राज्य नोडल एजेंसी / राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को एनएलएम योजना के तहत धन प्राप्त करने और पीएफएमएस प्रणाली के साथ मैप करने के लिए एक समर्पित बैंक खाता खोलने की आवश्यकता है।

5.8.3. केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियों के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अन्य घटकों के लिए निधि प्रवाह:

केंद्र सरकार की एजेंसियों या राज्य सरकार की एजेंसियों या स्टार्ट अप आदि को एनएलएम योजना के तहत सहायता प्रदान करने के निधि प्रवाह व्यय विभाग और सामान्य वित्तीय नियमों द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करेगा।

5.9. उद्यमिता परियोजना के लिए आवेदन का तरीका: उद्यमिता परियोजना साथ ही केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए आवेदन को डीएएचडी द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से विकसित किए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, जब तक ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह से काम नहीं करने लगता है, तब तक योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन मैन्युअल रूप से राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को **अनुबंध V** में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है।

5.10. केंद्रीय क्षेत्र चारा बीज गुणन उप-घटकों के तहत परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण: केंद्र सरकार आईसीएआर, राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी), भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको), कृषक भारती सहकारी (कृभको) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (एनएएफईडी) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू), राज्य सरकार के बीज उत्पादन निगम, सार्वजनिक और निजी संगठन, डेयरी सहकारी और दुग्ध संघ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और अन्य अच्छी विश्वसनीयता वाले संगठनों द्वारा चारा बीज उत्पादन की सभी श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन देगी। ।

राज्यों में राज्य एजेंसियों/राज्य सरकारों/संस्थानों और केंद्रीय एजेंसियों के अलावा अन्य विश्वसनीय एजेंसियों के संबंध में आवेदन राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे राज्य पशुधन विकास बोर्ड या राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए राज्य सरकार द्वारा पहचान की गई एजेंसियों के माध्यम से अपना आवेदन जमा करेंगे।

हालांकि, डेयरी सहकारी समितियों और दुग्ध संघों के लिए आवेदनों के संबंध में, आवेदन एनडीडीबी के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। एनडीडीबी, उन आवेदनों का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें निधियन के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग को प्रस्तुत करेगा। डेयरी सहकारिता और दुग्ध संघ द्वारा चारा बीज उत्पादन के लिए डेयरी सहकारी समितियों और दुग्ध संघों को आगे सहायता जारी करने के लिए एनडीडीबी को दी जाएगी।

5.11 प्रदर्शन के लिए राज्यों की रैंकिंग: राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत कार्यक्रमों को लागू करने में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों का क्रम निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदर्शन के लिए पैरामीटर निम्नानुसार होंगे:

क) उद्यमिता कार्यक्रम के तहत स्थापित इकाइयों की संख्या।

ख) ऐसे उद्यमिता विकास के माध्यम से सृजित नौकरियों की संख्या।

ग) उत्पादित चारा बीज की मात्रा और चारा उत्पादन में सुधार।

घ) लाभान्वित किसानों की संख्या।

ई) बीमा कार्यक्रम के तहत बीमित पशुधन की संख्या।

च) बढ़ावा दी गई नवोन्मेषी परियोजनाओं की संख्या और वास्तव में लागू की गई।

छ) योजना के लिए किसानों और युवाओं में जागरूकता पैदा करना।

ज) विभाग द्वारा केंद्रीय अंश के रूप में जारी निधियों का समय पर उपयोग।

झ) परियोजना कार्यान्वयन समय।

ञ) राज्य के हिस्से का समय पर जारी करना।

ट) राज्य में अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन में वृद्धि।

ठ) उद्यमिता कार्यक्रम के माध्यम से अच्छे जर्मप्लाज्म की उपलब्धता में वृद्धि।

6. उप-मिशन और विस्तृत दिशानिर्देश

6.1 पशुधन और कुक्कुट की नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन: इस उप-मिशन के तहत निम्नलिखित क्रियाकलाप किए जाएंगे:

6.1.1. क्रियाकलाप I:- ग्रामीण कुक्कुट की नस्ल विकास के लिए उद्यमियों की स्थापना

क्र.सं.	घटक का नाम	ग्रामीण कुक्कुट की नस्ल विकास के लिए उद्यमशीलता की स्थापना

01	**उद्देश्य**	i. असंगठित ग्रामीण कुक्कुट पालन क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाना ii. ग्रामीण कुक्कुट पालन के क्षेत्र में धारणीय रूप से उद्यमिता को बढ़ावा देना। iii. फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की स्थापना। iv. विभिन्न वैकल्पिक गैर-पारंपरिक कम लागत वाले आहार को लोकप्रिय बनाना।
02	**प्रमुख विशेषताएं**	हैचिंग अण्डों और चूजों के उत्पादन और मदर यूनिट में चार सप्ताह तक उक्त चूजों को पालन-पोषण के लिए मूल फार्म, ग्रामीण हैचरी, ब्रूडर-सह-मदर यूनिट की स्थापना के लिए व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और धारा 8 की कंपनियों को आमंत्रित करके उद्यमिता विकसित की जाएगी। उन उद्यमियों पर जोर दिया जाएगा जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज (हब एंड स्पोक) स्थापित करने में सक्षम होंगे। केंद्र सरकार न्यूनतम 1000 मूल लेयर्स के साथ मूल फार्म, ग्रामीण हैचरी और मदर यूनिट की स्थापना हेतु परियोजना की लागत के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगी। उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण या वित्तीय संस्थान या स्व-वित्तपोषण से करनी होगी मूल फार्म में अनुरक्षित पक्षी, लो इनपुट टेक्नोलॉजी पक्षी होंगे या इस तरह के पक्षी होंगे जो फ्री रेंज मैनेजमेंट

		सिस्टम में रह सकें। केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान, कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय और राज्य पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और अन्य निजी संगठन गारंटीकृत उत्पादन के प्रमाण पत्र के साथ उद्यमियों को पक्षियों की आपूर्ति करने के लिए पात्र होंगे। पक्षियों के लिए आवश्यक तकनीकी विनिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। निधियन के लिए पात्र घटकों की सांकेतिक सूची **अनुबंध-I** पर है।
03	**पात्र संस्थाएं**	व्यक्ति/ एसएचजी/एफपीओ/एफसीओ/जेएलजी और धारा 8 की कंपनियां
04	**निधियन पैटर्न**	कुल परियोजना लागत की एक मुश्त 50% पूंजीगत लागत प्रदान की जायेगी, प्रत्येक यूनिट के लिए अधिकतम सब्सिडी 25 लाख रू. तक होगी। सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी होगी और दो समान किश्तों में प्रदान की जाएगी। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लाभार्थी को ऋण की पहली किस्त जारी करने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इसकी पुष्टि के बाद सिडबी द्वारा अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों जैसे एनसीडीसी आदि को पहली किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी जो उद्यमी पात्र संस्था के खाते मे जमा की जाएगी। लाभार्थी, परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इसके होने के बाद सिडबी द्वारा दूसरी किस्त जारी करने के लिए पात्र होंगे। स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का

		मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जांएगा, जहां उद्यमियों/पात्र संस्था का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किस्त सिडबी द्वारा ऋणदाता बैंक को प्रदान की जाएगी, जहां लाभार्थी का खाता है। सब्सिडी तभी जारी की जाएगी जब लाभार्थी ने परियोजना की अवसरंचना के लिए लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित होने के बाद सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी। स्व-वित्तपोषित मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों / पात्र संस्थाओं को सहायता के लिए मांगी गई सब्सिडी की लागत अतिरिक्त/परियोजना की शेष लागत हेतु अनुसूचित बैंक से तीन साल के लिए वैध बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नाम से प्रदान की जाएगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा है। इसके अलावा बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करते समय ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करने या आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए की आवश्यकता है। दिशानिर्देशों के साथ बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप संलग्न है। कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, किराए की लागत और भूमि के पट्टे के लिए कोई सब्सिडी प्रदान

		नहीं की जाएगी।
05	**कार्यान्वयन प्राधिकारी**	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी और डीएएचडी, भारत सरकार,
06	**उपमिशन के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की अनिवार्य आवश्यकताएं**	उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को ऊपर पैरा 5.3 में निर्दिष्ट मानदंडों को भी पूरा करना होगा।
07	**परियोजना संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई**	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी इसके संचालन के संबंध में परियोजना के पूरा होने के बाद 2 साल की अवधि के लिए इससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करेगी।

क्रियाकलाप II: जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के क्षेत्र (भेड़ और बकरी पालन) में नस्ल विकास के लिए उद्यमी की स्थापना:

क्र. सं.	**घटक का नाम**	**जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के क्षेत्र (भेड़ और बकरी पालन) में नस्ल विकास के लिए उद्यमी की स्थापना**
1.	उद्देश्य	i. जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास करना ii. भेड़-बकरी संबंधी धारणीय व्यापार मॉडल विकसित करना iii. एकीकृत ग्रामीण भेड़-बकरी उत्पादन प्रणाली के विकास के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों, एफपीओ, एफसीओ, एसएचजी, जेएलजी और धारा 8 की कंपनियों को प्रोत्साहित करना। iv.उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देने और फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेज के निर्माण के माध्यम से जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के क्षेत्र को असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में बदलना। v.वैज्ञानिक पालन पद्धतियों, पोषण, रोग निवारण आदि के बारे में जागरूकता फैलाना। vi.भेड़ और बकरी पालन के स्टाल फीडिंग मॉडल को बढ़ावा देना।
2.	प्रमुख विशेषताएं	1. व्यक्तियों/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 की कंपनियों को एकमुश्त पूंजी सब्सिडी के माध्यम से उद्यमियों का निर्माण।

		2. उद्यमी/पात्र संस्थाएं न्यूनतम 500 मादाओं और 25 नरों के साथ भेड़ और बकरी प्रजनन इकाई स्थापित कर सकती हैं। भेड़ और बकरी इकाई की स्थापना बकरी के दूध, मीट और अच्छी ऊन की गुणवत्ता के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली उच्च आनुवंशिक किस्म के साथ की जाएगी। भेड़ और बकरी की नस्ल का चयन इस दिशानिर्देश में दी गई सूची से या राज्य सरकार के परामर्श से किया जा सकता है। 3. केंद्र सरकार परियोजना की पूंजीगत लागत के लिए 50% तक बैक एंडेड सब्सिडी प्रदान करेगी। 4. उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण या वित्तीय संस्थान या स्व-वित्तपोषण के माध्यम से करनी होगी। 5. उन घटकों की सांकेतिक सूची जिनके लिए सब्सिडी के लिए धन प्राप्त किया जा सकता है।
3.	सहायता का पैटर्न	दो किस्तों में 50 लाख रुपये तक 50% पूंजीगत सब्सिडी यह सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी होगी और दो समान किश्तों में प्रदान की जाएगी। सब्सिडी पूंजीगत सब्सिडी होगी और दो समान किश्तों में

		प्रदान की जाएगी। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लाभार्थी को ऋण की पहली किस्त जारी करने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इसकी पुष्टि के बाद सिडबी द्वारा अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों जैसे एनसीडीसी आदि को पहली किश्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी जो उद्यमी पात्र संस्था के खाते में जमा की जाएगी। लाभार्थी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रमाणित होने के बाद सिडबी द्वारा दूसरी किस्त जारी करने के लिए पात्र होंगे। स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाएगा जहां उद्यमियों/पात्र संस्था का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किस्त सिडबी द्वारा ऋणदाता बैंक को प्रदान की जाएगी, जहां लाभार्थी का खाता है। सब्सिडी तभी जारी की जाएगी जब लाभार्थी ने परियोजना की अवसंरचना के लिए लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित होने के बाद सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी। स्व-वित्तपोषित मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों / पात्र संस्थाओं को सहायता के लिए मांगी गई सब्सिडी की लागत के अतिरिक्त परियोजना की शेष लागत हेतु अनुसूचित बैंक से तीन साल के लिए वैध बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नाम से प्रदान की जाएगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा

		जाना है। इसके अलावा बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करते समय या ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करने या आवेदन के साथ संलग्न करने की आवश्यकता है। दिशानिर्देशों के साथ बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप संलग्न है। कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, किराए की लागत और भूमि के पट्टे के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी
4.	**पात्र संस्थाएं**	एफपीओ/एफसीओ/एसएचजी/जेएलजी/ व्यक्ति/ धारा 8 की कंपनियां
5.	**कार्यान्वयन एजेंसियां**	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी, डीएएचडी, एमओएफएएचडी, भारत सरकार।
6.	**उपमिशन के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की अनिवार्य आवश्यकताएं**	उद्यमी/पात्र संस्थाएं ऊपर पैरा 5.3 में निर्दिष्ट मानदंडों को भी पूरा करेंगी।
7.	**परियोजना संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई**	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी इसके संचालन के संबंध में परियोजना के पूरा होने के बाद 2 साल की अवधि के लिए इससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करेगी।

क्रियाकलाप III. भेड़ और बकरी नस्लों का आनुवांशिक सुधार

भेड़ और बकरी की नस्लों के आनुवंशिक सुधार के तहत निम्नलिखित क्रियाकलाप होंगे।

(i) भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला और सीमेन बैंक की स्थापना

(ii) राज्य सीमेन बैंक की स्थापना

(iii) मौजूदा गोपशु और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का प्रचार

(iv) विदेशी भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म का आयात

(i) **भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला और सीमेन बैंक की स्थापना**:

क्र.सं.	**घटक का नाम**	**भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला और सीमेन बैंक की स्थापना**
1.	उद्देश्य	i. चयनित प्रजनन के माध्यम से भेड़/बकरी की देशी डिस्क्रिप्ट नस्लों का आनुवंशिक सुधार ii. उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च आनुवंशिक रैम्स या बक के साथ संकर प्रजनन के माध्यम से नॉन-डिस्क्रिप्ट भेड़/बकरी नस्लों का आनुवंशिक उन्नयन। iii. कृत्रिम गर्भाधान और अन्य उन्नत समर्थित प्रजनन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से बेहतर नर जर्मप्लाज्म के प्रसार द्वारा भेड़ और बकरी की नस्लों के बीच नकारात्मक चयन और इन ब्रीडिंग को कम करना।
2.	प्रमुख विशेषताएं	इस क्रियाकलाप के तहत केंद्र सरकार क्षेत्रीय स्तर पर किसी महत्वपूर्ण स्थान पर बकरी के लिए हिमित सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला और भेड़ के लिए तरल सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करेगी। ये प्रयोगशाला उक्त क्षेत्र के आस-पास के राज्यों में उत्कृष्ट पशुओं के सीमेन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। क्षेत्रीय सीमेन स्टेशन की यह स्थापना उक्त क्षेत्र के राज्यों से प्राप्त रुचि की अभिव्यक्ति पर आधारित होगी जो क्षेत्र के राज्यों के लिए सीमेन का उत्पादन और आपूर्ति कर सकता है। साथ ही क्षेत्रीय सीमेन बैंक बकरी के हिमित सीमेन के लिए

		क्षेत्रीय सीमेन केंद्र के रूप में कार्य करेग। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने भेड़ और बकरी सीमेन प्रसंस्करण के लिए न्यूनतम मानक (एमएसपी विकसित किए हैं। सीमेन प्रयोगशालाओं को परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय सीमेन प्रसंस्करण के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। एमएसपी में संरचना, लॉजिस्टिक उपकरण आदि की आवश्यकताओं को विस्तृत विवरण दिया गया है। इस प्रयोगशाला में उत्पादित सीमेन को पड़ोसी राज्यों में वितरित किया जाएगा।
3.	सहायता का पैटर्न	पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए निधियन पैटर्न 60:40 होगा, जहां यह 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% होगा। सीमेन प्रयोगशाला के निर्माण, प्रजनन बक और रैम्स के रखरखाव, स्थानीय रूप से उपलब्ध उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले पशुओं की सोर्सिंग और सीमेन के प्रसंस्करण के लिए क्षेत्रीय सीमेन स्टेशन की स्थापना के लिए संबंधित राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 400.00 लाख रुपये तक एकमुश्त सहायता अनुदान प्रदान किया जायेगा। सीमेन के पहली बार प्रसंस्करण के लिए आवश्यक उपभोग्य सामग्रियों, दवाओं, रसायनों आदि की खरीद के लिए एकमुश्त व्यय के रूप में 30 लाख रुपये भी प्रदान किए जाएंगे। सीमेन स्टेशन को चलाने के लिए क्षेत्रीय सीमेन बैंक को अपने स्वयं के संसाधन उत्पन्न करने होंगे। सीमेन स्टेशन के संचालन व्यय के लिए कोई आवर्ती व्यय प्रदान नहीं किया जाएगा।

4.	पात्र संस्थाएं	राज्य पशुधन एजेंसियां
5.	कार्यान्वयन एजेंसियां	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य पशुपालन विभाग

(ii) राज्य सीमेन बैंक की स्थापना:

क्र. सं.	**उप-घटक का नाम**	**राज्य सीमेन बैंक की स्थापना**
1.	उद्देश्य	कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से बेहतर नर जर्मप्लाज्म के प्रचार द्वारा चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से भेड़/बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार
2.	प्रमुख विशेषताएं	हिमित सीमेन के माध्यम से बकरियों के लिए कृत्रिम गर्भाधान प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए, एआई केंद्रों को बकरी के हिमित सीमेन की आपूर्ति के लिए राज्य स्तर पर भंडारण डिपो की आवश्यकता होगी। गोपशुओं और भैंसों के हिमित सीमेन के भंडारण का काम करने वाला राज्य सीमेन बैंक बकरियों के लिए भी सीमेन बैंक का काम कर सकता है। अत: बकरियों के हिमित सीमेन के भंडारण के लिए उपकरण एवं भंडारण कंटेनर उपलब्ध कराकर मौजूदा राज्य सीमेन बैंक को मजबूत करने के लिए एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।
3.	सहायता का पैटर्न	बकरी के हिमित सीमेन के भण्डारण एवं वितरण हेतु विद्यमान गोपशु एवं भैंस के सीमेन बैंक के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य को 10.00 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता की राशि प्रदान की जायेगी। क्रायो-कंटेनर और अन्य संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय

		सहायता के माध्यम से होगी।
4.	पात्र संस्थाएं	राज्य पशुधन एजेंसियां, पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
5.	कार्यान्वयन एजेंसियां	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी, एमओएफएएचडी, भारत सरकार और राज्य पशुपालन विभाग

(iii) मौजूदा गोपशु और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का प्रसार:

क्र. सं.	घटक का नाम	मौजूदा गोपशु और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का प्रसार
1.	उद्देश्य	कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से बेहतर नर जर्मप्लाज्म के प्रचार द्वारा चयनात्मक प्रजनन द्वारा भेड़/बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार
2.	प्रमुख विशेषताएं	आवश्यक उपकरण (बकरी एआई ट्रैविस, एआई गन, वैजिनल स्पेकुलम, हेड लाइट) की आपूर्ति और गोपशु एआई कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके बकरी और भेड़ में कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए गोपशु और भैंस एआई केंद्रों को मजबूत किया जाएगा।
3.	सहायता का पैटर्न	प्रत्येक एआई केंद्र को बकरी एआई क्रेट, एआई गन, वैजिनल स्पेकुलम, हेड लाइट की खरीद के लिए लागत साझा कारण के आधार पर सभी राज्यों के 60:40 की दर से पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर, जहां यह 90:10 होगा, 7000 रुपये

		तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जायेगी।
4.	पात्र संस्थाएं	राज्य पशुधन एजेंसियां पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
5.	कार्यान्वयन एजेंसियां	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य पशुपालन विभाग

(iv) **विदेशी भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म का आयात**

क्र. सं.	**उप-घटक का नाम**	**विदेशी भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म का आयात**
1.	उद्देश्य	कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से बेहतर नर जर्मप्लाज्म के प्रचार द्वारा चयनात्मक प्रजनन द्वारा भेड़/बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार
2.	प्रमुख विशेषताएं	केंद्र सरकार नॉन-डिस्क्रिप्ट पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और ऊन, दूध और मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले संकर नस्ल के पशुओं का उत्पादन करने के लिए भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म के आवश्यकता आधारित आयात के लिए राज्यों की सहायता करेगी। बेहतर विदेशी नस्लों का राज्य सरकार के न्यूक्लियस फार्मों में शुद्ध नस्लों के रूप में रखरखाव किया जाएगा। राज्य को जर्मप्लाज्म के आयात का प्रस्ताव भेजने से पहले अपनी प्रजनन नीति को अधिसूचित करना होगा।
3.	सहायता का पैटर्न	राज्य को लागत साझाकरण के आधार पर जीवित पशुओं के रूप में भेड़ और बकरी जर्मप्लाज्म के आयात के लिए सभी राज्यों के लिए 60:40 की दर से एकमुश्त सहायता प्रदान की

		जाएगी सिवाय पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के जिनके लिय यह 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह 100% होगी।
4.	पात्र संस्थाएं	राज्य पशुधन एजेंसियां राज्य पशुधन बोर्ड पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
5.	कार्यान्वयन एजेंसियां	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां और राज्य पशुपालन विभाग।

क्रियाकलाप IV: सुअर पालन उद्यमी को प्रोत्साहन

क्र.सं.	**क्रियाकलाप का नाम**	**सुअर पालन उद्यमी को प्रोत्साहन**
1	उद्देश्य	आनुवंशिक उन्नयन के माध्यम से देश की सुअर आबादी की प्रति पशु उत्पादकता में सुधार करने के लिए क्षेत्र में उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देना और फारवर्ड एवं बैकवर्ड संपर्कों का निर्माण करना। सूअर के मांस में आयात निर्भरता को बदलना और सूअर के मांस एवं सूअर मांस के उत्पादों का निर्यात शुरू करना, वैज्ञानिक पालन प्रथाओं पोषण, रोग की रोकथाम आदि के बारे में जागरूकता फैलाना।

2	प्रमुख विशेषताएं	व्यक्तियों/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 की कंपनियों को एकमुश्त पूंजीगत सब्सिडी के माध्यम से उद्यमी तैयार करना। उद्यमी को केंद्र या राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के फार्मों या स्थानीय किसानों से उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले प्रजनन योग्य न्यूनतम 100 सुअरियों और **10** सूअर वाले ब्रीडर फार्म की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार परियोजना की पूंजीगत लागत के लिए 30 लाख रुपये तक 50% पूंजी सब्सिडी प्रदान करेगी । परिवहन और बीमा लागत, उपकरण / मशीनों के साथ पशुओं के आवास, प्रजनन लागत के लिए निधियां प्रदान की जायेगी। उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को बैंक ऋण या वित्तीय संस्थान से ऋण या स्व-वित्तपोषण के माध्यम से शेष राशि की व्यवस्था करनी होगी। जमीन की खरीद, किराए और जमीन की लीज लागत, कार्यशील पूंजी, निजी वाहन के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

3	सहायता का पैटर्न	योजना के दिशा-निर्देशों के अधीन प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये तक की सब्सिडी के साथ कुल परियोजना लागत की एकमुश्त 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी होगी और दो समान किश्तों में प्रदान की जाएगी। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लाभार्थी को ऋण की पहली किस्त जारी करने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इसकी पुष्टि के बाद सिडबी द्वारा अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों जैसे एनसीडीसी आदि को पहली किश्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। उद्यमी जो पात्र संस्थाओं के खाते में जमा की जाएगी। लाभार्थी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रमाणित होने के बाद सिडबी द्वारा दूसरी किस्त जारी करने के लिए पात्र होंगे। स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाएगा जहां उद्यमियों/पात्र संस्थाओं का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किस्त ऋणदाता बैंक को सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी जहां लाभार्थी का खाता है। सब्सिडी तभी जारी की जाएगी जब लाभार्थी ने परियोजना की अवसरंचना के लिए लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित होने के बाद सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी। स्व-वित्तपोषित मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों / पात्र संस्थाओं को सहायता के लिए मांगी गई सब्सिडी की लागत के अतिरिक्त परे

		परियोजना की शेष लागत हेतु अनुसूचित बैंक से तीन साल के लिए वैध बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नाम से प्रदान की जाएगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है। इसके अलावा बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करते समय ऑनलाइन पोर्टल में या आवेदन के साथ संलग्न होगा। दिशानिर्देशों के साथ बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप संलग्न है। कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, किराए की लागत और भूमि के पट्टे के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी निधियन के लिए पात्र उपकरणों की सांकेतिक सूची **अनुबंध III** में है.
4	पात्र संस्थाएं	एफपीओ/एसएचजी/एफसीओ/जेएलजी/धारा 8 की कंपनियां/ व्यक्ति
5	कार्यान्वयन एजेंसियां	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी, एमओएफएएचडी, भारत सरकार।
6	उपमिशन के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की अनिवार्य आवश्यकताएं	उद्यमी ऊपर पैरा 5.3 में निर्दिष्ट मानदंडों को भी पूरा करेंगे।
7	परियोजना संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी दो साल के लिए परियोजना की प्रगति संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई करेंगी।

क्रियाकलाप V: सुअर की नस्लों का आनुवंशिक सुधार

इस क्रियाकलाप के तहत निम्नलिखित क्रियाकलापों को क्रियान्वित किया जाएगा:

(i) सूअर सीमेन संग्रहण एवं प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना

(ii) विदेशी सूअर जर्मप्लाज्म का आयात

(i) सूअर सीमेन संग्रहण एवं प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना

क्र.सं.	उप घटक का नाम	सुअर के सीमेन संग्रहण एवं प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना
1	उद्देश्य	i. i.कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के माध्यम से उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले नर जर्मप्लाज्म (सूअर सीमेन) के प्रसार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि ii. ii. इनब्रीडिंग कम करना। iii. iii. यौन संचारित रोगों के प्रवेश को कम करना।
2	प्रमुख विशेषताएं	जुगाली करने वाले बड़े गोशुओं के विपरीत, हिमित सीमेन प्रौद्योगिक सूअर के लिए सफल नहीं है। इसलिए सूअर में कृत्रिम गर्भाधान ज्यादातर सूअर के तरल सीमेन के साथ किया जाता है, जिसकी सफलता दर 60% होती है, जब वीर्य को वैज्ञानिक और स्वच्छ तरीके से संसाधित किया जाता है। वर्तमान में, तरल वीर्य के जीवन को लम्बा करने के लिए प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। बड़ी संख्या में सूअरों को कवर करते हुए उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सूअर के सीमेन के प्रसार के लिए, बड़ी संख्या में खुराके विकसित करने के लिए सीमेन को संसाधित करने की आवश्यकता होती है ये खुराके लंबी अवधि तक सक्रिय रहती हैं। अतः सरकारी सूअर फार्म में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सूअर के उच्च गुणवत्ता वाले तरल सीमेन का उत्पादन करने के लिए सीमेन प्रसंस्करण प्रयोगशाला स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाएगी।

3	सहायता का पैटर्न	सभी राज्यों के लिए निधियन पैटर्न 60:40 होगा, सिवाय पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के जहां यह 90:10 होगा। सीमेन प्रयोगशाला के निर्माण, प्रजनन सूअर इकाई के रखरखाव के लिए संबंधित राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 150.00 लाख रुपये तक की एकमुश्त अनुदान सहायता प्रदान की जायेगी। सीमेन के पहली बार प्रसंस्करण के लिए उपभोग्य सामग्रियों, दवाओं, रसायनों आदि की खरीद के लिए एकमुश्त आवर्ती व्यय के रूप में 30 लाख रुपये भी प्रदान किए जाएंगे।
4	पात्र संस्था	राज्य पशुधन एजेंसियां पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
5	कार्यान्वयन एजेंसियां	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां और राज्य पशुपालन विभाग।

(ii) सुअर जर्मप्लाज्म का आयात

क्र. सं.	**घटक का नाम**	**विदेशी सूअर जर्मप्लाज्म का आयात**
1.	उद्देश्य	प्रति पशु उच्च उत्पादकता वाले संकर नस्ल पशुओं के उत्पादन के लिए देशी सूअरों के आनुवंशिक उन्नयन के लिए मौजूदा देशी जीनपूल में बेहतर नर जर्मप्लाज्म को शामिल करना
2.	प्रमुख विशेषताएं	केंद्र सरकार नॉन- डिस्क्रिप्ट पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और प्रति पशु मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले संकर नस्ल के पशुओं का उत्पादन करने के लिए सूअर जर्मप्लाज्म के आवश्यकता आधारित आयात के लिए राज्यों की सहायता करेगी। बेहतर विदेशी नस्लों का राज्य सरकार के न्यूक्लियस फार्मों में शुद्ध नस्लों के रूप में रखरखाव किया जाएगा। हालांकि, राज्य को जर्मप्लाज्म के आयात का प्रस्ताव भेजने से पहले सूअरों के लिए प्रजनन नीति तैयार करने और अधिसूचित करने की आवश्यकता है।

3.	सहायता का पैटर्न	पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर, जहां यह 90:10 होगा, सभी राज्यों के लिए लागत साझाकरण के आधार पर 60:40 के आधार पर जीवित पशुओं के रूप में विदेशी सूअर जर्मप्लाज्म के आयात के लिए राज्य को एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।
4.	लाभार्थी	राज्य पशुधन एजेंसियां राज्य पशुधन बोर्ड पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
5.	कार्यान्वयन एजेंसियां	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां।

आहार और चारा विकास पर उप-मिशन

आहार और चारे के उप-मिशन में निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल होंगे:

क्रियाकलाप (i): गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता

क्रियाकलाप (ii): आहार और चारे में उद्यमी क्रियाकलाप

क्रियाकलाप I: गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता

क्र.सं.	क्रियाकलाप का नाम	गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता
1.	उद्देश्य	i. प्रभावी बीज उत्पादन श्रृंखला की स्थापना। ii. चारा उत्पादन, संरक्षण और उपयोग में राज्य के पदाधिकारियों और पशुधन मालिकों की क्षमता निर्माण। **iii.** चारा संसाधन विकास के लिए चल रहे योजना कार्यक्रमों और हितधारकों के बीच अभिसरण (कन्वर्जेंस) और तालमेल स्थापित करना।
2.	मुख्य विशेषताएं	• इस क्रियाकलाप के तहत चारा बीज श्रृंखला यानी ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित गुणवत्ता वाले चारा बीज उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। • यह घटक उच्च उपज देने वाले चारे की किस्मों के बीजों के गुणन की ओर लक्षित है, जिसे अनुसंधान और नवाचारों के माध्यम से विकसित किया गया है, जो उल्लेखनीय रूप से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जिसके लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
3.	सहायता का पैटर्न	• आईसीएआर, राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी), भारतीय किसान उर्वरक सहकारी (इफको), कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और केंद्रीय एजेंसियों साथ ही राज्य कृषि

		विश्वविद्यालय (एसएयू), हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड (एचआईएल), राज्य सरकार के बीज उत्पादन निगम, सार्वजनिक और निजी संगठन, डेयरी सहकारी समितियां और दूध संघ और अच्छी विश्वसनीयता के साथअन्य संगठन द्वारा चारा बीज उत्पादन की सभी श्रेणियों के उत्पादन के लिए 100% प्रोत्साहन। • बीज उत्पादन प्रोत्साहन राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी), आईसीएआर, आईएफएफसी, कृभको, नेफेड, एचआईएल, एनडीडीबी आदि जैसी केंद्रीय बीज एजेंसियों को सीधे और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को राज्य बीज उत्पादक एजेंसियों से प्राप्त आवेदनों के लिए दिया जाएगा। हालांकि, डेयरी सहकारिता और दुग्ध संघों के लिए सहायता एनडीडीबी के माध्यम से दी जाएगी। • प्रति किलो बीज की लागत के आधार पर दो किस्तों में सहायता प्रदान की जाएगी। व्यवहार्य प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद पहली किस्त प्रदान की जाएगी। दूसरी किस्त बीज के उत्पादन एवं संबंधित लाभार्थी एजेंसी द्वारा स्व-प्रमाणन के बाद प्रदान की जाएगी • विभिन्न श्रेणी के बीजों के उत्पादन के लिए सहायता की जाने वाली लागत निम्नानुसार है: • ब्रीडर सीडअप250 रु./किग्रातक • फाउंडेशन बीज 150 रुपये/किग्रा तक • प्रमाणित बीज 100 रु./किग्रातक • जब किसानों को बीज उत्पादक एजेंसियों द्वारा चारा बीज उत्पादन क्रियाकलाप में लगाया जाता है, तो सब्सिडी का 75% किसानों को दिया जाना चाहिए और 25% को बीज उत्पादक एजेंसी द्वारा प्रमाणीकरण लागत सहित व्यय को पूरा करने के लिए रखा जाना चाहिए।
4.	पात्र संस्थाएं	• केन्द्रीय स्तर पर इन एजेंसियों के लिए अनुमोदित योजना

		के आधार पर आईसीएआर संस्थान/ एनएससी/ नेफेड/ कृभको/ इफको/ केंद्रीय बहु-राज्य सहकारी समितियां जैसे एनसीसीएफ/हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड (एचआईएल), एनडीडीबी, डेयरी सहकारी समितियां, दुग्ध परिसंघ या राष्ट्रीय पशुधन मिशन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में अनुमोदित अन्य एजेंसी। • राज्य सरकार के बीज उत्पादन निगम, सार्वजनिक और निजी संगठन और अच्छी विश्वसनीयता वाले अन्य संगठन
5.	आवेदन फॉर्म	• एजेंसी सहायता प्राप्त करने के लिए **परिशिष्ट II** में दिए गए आवेदन में विवरण भरने के लिए आवेदन करेगी। दूसरी सहायता मांगने पर पात्र संस्था बीज के अंतिम उत्पादन को भी प्रस्तुत करेगी
6.	क्रियाकलाप कीकारवाई	• एजेंसी **परिशिष्ट- III** में निर्धारित प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट भेजेगी।

क्रियाकलाप II: आहार और चारे में उद्यमिता क्रियाकलाप

मिशन का उद्देश्य:

i. आहार और चारा के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास।
ii. फ्रंटलाइन प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों के माध्यम से चारा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, विकसित करना और उनका प्रसार करना।
iii. स्थानीय स्तर पर सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध कराना।
iv. इन उद्यमियों को आपूर्ति करने के लिए स्थानीय किसानों द्वारा चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार चारे का उपयोग नकदी फसल के रूप में करें।

क्रियाकलाप का विवरण इस प्रकार है:

आहार और चारे में उद्यमी क्रियाकलाप

क्र.सं.	**क्रियाकलाप का नाम**	**आहार और चारे मे उद्यिमयिता क्रियाकलाप**
1.	मुख्य विशेषताएँ	निजी उद्यमियों, एसएचजी, एफसीओ, जेएलजी, एफपीओ, डेयरी सहकारी समितियों, धारा 8 कंपनियों को मूल्यवर्धन जैसे कि भूसा/सिलेज/कुल मिश्रित राशन (टीएमआर)/चारा ब्लॉक और चारे के भंडारण के लिए 50% प्रतिशत पूंजी प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्राम स्तर पर भूसा/ साइलेज से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए परियोजना लागत के लिए सब्सिडी/ बेलर, ब्लॉक बनाने की मशीन, टीएमआर मशीन / उपकरण, चारा हार्वेस्टर/ रीपर, हैवी ड्यूटी पावर ऑपरेटेड चैफ कटर जैसी मशीनरी खरीदने के लिए चारा ब्लॉक बनाने वाली इकाइयां और आवश्यकता/जरूरत के अनुसार कोई अन्य पीएचटी उपकरण। उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को बैंक ऋण के माध्यम से या एनसीडीसी या स्व-वित्त जैसे वित्तीय संस्थान से शेष राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना की शेष राशि के

		वित्तपोषण के लिए पात्र संस्थाएं पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) के तहत लाभ उठा सकती हैं।
2.	सहायता का पैटर्न	राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कुल परियोजना लागत का 50% तक की सब्सिडी के साथ योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को दो समान किस्तों में 50 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। सब्सिडी पूंजीगत सब्सिडी होगी और दो समान किस्तों में प्रदान की जाएगी। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लाभार्थी को ऋण की पहली किस्त जारी करने और राज्य कार्यान्वयनएजेंसी द्वारा इसकी पुष्टि के बाद सिडबी द्वारा अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों जैसे एनसीडीसी आदि को पहली किश्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। लाभार्थी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रमाणित होने के बाद सिडबी द्वारा दूसरी किस्त जारी करने के लिए पात्र होंगे। स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाना चाहिए जहां उद्यमियों/पात्र इकाई का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किस्त ऋणदाता बैंक को सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी जहां लाभार्थी का खाता है। सब्सिडी तभी जारी की जाएगी जब लाभार्थी ने परियोजना के लिए बुनियादी ढांचे के लिए लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित होने के बाद सिडबी प्रदान की जाएगी। स्व-वित्तपोषित मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों / पात्र संस्थाओं को सहायता के लिए मांगी गई सब्सिडी की लागत से परे परियोजना की

		शेष लागत के लिए तीन साल के लिए वैध अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नाम से प्रदान की जाएगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है। इसके अलावा बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करने या आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है। दिशानिर्देशों के साथ बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप संलग्न किया गया है कार्यशील पूंजी, व्यक्तिगत कार की खरीद, भूमि, पट्टे पर देने और भूमि के किराए और कार्यालय आवास के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी।
3.	पात्र संस्थाएं	निजी उद्यमी, एसएचजी, एफसीओ, जेएलजी, एफपीओ, डेयरी सहकारी समितियां, धारा 8 कंपनियां
4.	कार्यान्वयन एजेंसी	i. डीएएचडी, भारत सरकार ii. राज्य पशुपालन विभाग iii. राज्य पशुधन एजेंसी/ राज्य पशुधन बोर्ड
5.	पात्रता के मानदंड	उद्यमियों को भी ऊपर पैरा 5.3 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा।
6.	परियोजना का अनुवर्तन	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी इसके संचालन के संबंध में इसके कार्यान्वयन के 2 साल बाद तक परियोजना का पालन करेगी।

नवाचार और विस्तार संबंधी उप मिशन

मिशन के उद्देश्य:

क. भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी पालन, अन्य पशुधन, चारा क्षेत्र, मांस और अन्य पशुधन उत्पादों से संबंधित अनुसंधान और विकास करने वाले संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों को प्रोत्साहित करना।

ख. पशुधन क्षेत्र में हो रही विभिन्न गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिए विस्तार क्रियाकलापों को अंजाम देना।

ग. पशुधन बीमा का कार्य करना

घ. इस क्षेत्र के लिए नवाचार लाने के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करें।

इस उप-मिशन में निम्नलिखित क्रियाकलाप हैं:

i. क्रियाकलापI: अनुसंधान और विकास और नवाचार
ii. क्रियाकलापII: विस्तार क्रियाकलाप
iii. क्रियाकलापIII: पशुधन बीमा

क्रियाकलाप I: अनुसंधान और विकास और नवाचार

क्र.सं.	घटक	विकास और अनुसंधान तथा नवाचार
1.	**उद्देश्य**	i. भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी पालन, अन्य पशुधन, चारा क्षेत्र, मांस और अन्य पशुधन उत्पादों की उन्नति के लिए अनुसंधान क्रियाकलापों और नवाचारों को प्रोत्साहित करना। ii. पशुपालकों द्वारा सामना की जाने वाली अंतर्निहित (अंडरगोइंग) समस्याओं का समाधान करने के लिए। iii. स्थायी पशुपालन में योगदान करने के लिए। iv. अभिनव परियोजनाओं और क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए।
2.	**मुख्य**	अनुसंधान और विकास के लिए भेड़, बकरी, मुर्गी पालन, सुअर और

	विशेषताएँ	चारा और चारा क्षेत्र में अनुसंधान में शामिल आईसीएआर, केंद्रीय संस्थानों, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय के फार्म और अन्य विश्वसनीय संस्थानों को सहायता प्रदान की जाएगी। क्षेत्र के विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए नवीन क्रियाकलापों के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। भेड़, बकरी, मुर्गी पालन, सुअर, आहार और चारे में समस्या समाधान के लिए स्टार्ट-अप को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। विभाग एक स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम आयोजित करेगा। संबंधित केंद्रीय एजेंसियां/विश्वविद्यालय फार्म अपने मूल संगठन/राज्य पशुपालन विभाग के माध्यम से विभाग के एनएलएम प्रभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मूल संगठन/विभाग को परियोजना को अग्रेषित करने से पहले अनुमोदन और अनुशंसा करना है। नवोन्मेषी परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत और अन्य संगठनों को संबंधित राज्य पशुपालन से परियोजना को अनुमोदित करने और एसएलईसी के माध्यम से भेजने की आवश्यकता है। संबंधित एजेंसी/विश्वविद्यालयों/आईसीएआर और अन्य विश्वसनीय संगठनों द्वारा प्रस्तुत नवाचार और अनुसंधान और विकास के तहत परियोजनाओं का मूल्यांकन और मूल्यांकन विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाएगा और अधिकार प्राप्त समिति द्वारा वित्त पोषण के लिए विचार करने के लिए इसकी सिफारिश की जाएगी। सहायता लेने के लिए अभिप्रेत संस्थान **परिशिष्ट IV**के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
3.	**निधीयन पैटर्न**	केंद्र सरकार विस्तार, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार गतिविधियों के संचालन के लिए 100% सहायता प्रदान करेगी
4.	**पात्र संस्था**	आईसीएआर, केंद्रीय संस्थान, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय फार्म और अन्य विश्वसनीय संस्थान और स्टार्ट अप
5.	**कार्यान्वयन एजेंसी**	पशुपालन और डेयरी विभाग, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार

6.	**अनुवर्ती**	एजेंसी परियोजना के आधार पर कम से कम प्रत्येक तिमाही पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

क्रियाकलाप II: विस्तार क्रियाकलाप

क्र.सं.	**घटक**	**विस्तार क्रियाकलाप**
01	**उद्देश्य**	उपलब्ध विस्तार प्लेटफार्मों के माध्यम से वैज्ञानिक पशुपालन के संबंध में पशुपालन क्षेत्र में शामिल सभी हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए।
02	**मुख्य विशेषताएँ**	इस क्रियाकलाप के तहत आईईसी क्रियाकलापों जैसे संगोष्ठी,प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पशुधन किसान समूह / ब्रीडर संघ, पशुपालन से संबंधित विभिन्न प्रचार क्रियाकलापों के संगठन, राज्य, केंद्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर योजना प्रचार आदि, किसानों के संचालन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। फील्ड स्कूल, पशुधन विस्तार सुविधाकर्ताओं (एलईएफ) के लिए एक्सपोजर विजिट, किसान का एक्सपोजर विजिट, पशुधन विस्तार के कर्मचारी घटक, प्रदर्शन गतिविधियां, सोशल मीडिया और ऑडियो विजुअल सपोर्ट के माध्यम से जागरूकता पैदा करना, विस्तार शिक्षा और पशुधन विस्तार पर साहित्य का सृजन आदि। जानकारी ऑडियो-विजुअल एड्स (टीवी और रेडियो शो और वार्ता), सोशल मीडिया, होर्डिंग्स, पैनल, कियोस्क, मुद्रित सामग्री आदि जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। पशुधन विस्तार पर वीडियो और मल्टीमीडिया पैकेज तैयार करने और विकसित करने में विभिन्न विस्तार एजेंसियों की सहायता की जाएगी। इसके अलावा, पशुधन क्षेत्र पर सफलता की कहानियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास और प्रलेखन के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार उत्पादित सामग्री को पशुपालन क्षेत्र में शामिल सभी एजेंसियों के माध्यम से व्यापक रूप से वितरित किया जाएगा। क्षमता निर्माण के लिए गोपालमित्रों, प्राणिबंधुओं, ग्राम विस्तार

		कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, प्रगतिशील किसानों आदि सहित कृषि और संबद्ध विभागों में क्षेत्र स्तर पर कार्यरत मौजूदा मानव संसाधन को भी शामिल किया जाएगा।
03	**निधीयन पैटर्न**	पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर योजना प्रचार, ज्ञान के प्रसार एवं संबंधित गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रत्येक प्रखंड, जिला एवं राज्य को एक लाख, दो लाख एवं तीन लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जायेगी. निधि की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक कार्यक्रम का आयोजनपूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर,जहां यह 90:10 होगा, सभी राज्यों के लिए फंडिंग पैटर्न 60:40 होगा। क्षेत्रीय और केंद्रीय स्तर पर पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए योजना प्रचार, ज्ञान के प्रसार और संबंधित गतिविधियों के आयोजन के लिए 100% सहायता प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए उद्यमिता, कुक्कुट प्रबंधन, वैज्ञानिक कुक्कुट उत्पादन, भेड़ बकरी और सुअर के वैज्ञानिक पालन, भेड़ और बकरी और सुअर के लिए कृत्रिम गर्भाधान प्रौद्योगिकी, आहार और चारा विकास के प्रशिक्षण के लिए 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। आईईसी क्रियाकलापों के लिए पोस्टर, पैम्फलेट, प्रकाशन और ऑडियो-विजुअल मीडिया के प्रकाशन के लिए राज्य पशुपालन विभाग को वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं और पशुपालन विकास पर जागरूकता पैदा करने से संबंधित मामलों पर जागरूकता पैदा करने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों और पशुपालन और डेयरी विभाग को 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा।
04	**लाभार्थी**	राज्य पशुपालन विभाग और पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार।
05	**कार्यान्वयन एजेंसी**	राज्य पशुपालन विभाग और पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार।

क्रियाकलाप III: पशुधन बीमा

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>घटक</th><th>पशुधन बीमा</th></tr>
<tr><td>01</td><td>उद्देश्य</td><td>मृत्यु के कारण अपने पशुओं के किसी भी संभावित नुकसान के लिए किसानों को सुरक्षा तंत्र प्रदान करके जीवन जोखिम और अनिश्चितताओं का प्रबंधन करने के लिए और लोगों को पशुधन के बीमा के लाभ का प्रदर्शन करने के लिए।</td></tr>
<tr><td>02</td><td>प्रमुख विशेषताएँ</td><td>जोखिम प्रबंधन और बीमा देश के सभी जिलों में लागू किया जाना है, जिसमें भविष्य में तैयार किए गए जिले, यदि कोई हो, शामिल हैं।

देशी/क्रॉसब्रेड दुधारू पशु, पैक जानवर (घोड़े, गधा, खच्चर, ऊंट, टट्टू और गोवंश/भैंस नर), और अन्य पशुधन (बकरी, भेड़, सूअर, खरगोश, याक और मिथुन आदि) इस घटकके दायरे में होंगे।

भेड़, बकरी, सुअर और खरगोश को छोड़कर सभी जानवरों के लिए सब्सिडी का लाभ प्रति परिवार प्रति लाभार्थी 5 जानवरों तक सीमित है, जहां लाभ 5 मवेशी इकाइयों (1 मवेशी इकाई = 10 भेड़/बकरी/सुअर/खरगोश) तक सीमित होगा। इसलिए भेड़, बकरी, सुअर और खरगोश को सब्सिडी का लाभ प्रति परिवार प्रति लाभार्थी 5 मवेशी यूनिट तक सीमित किया जाना है। हालांकि, 5 से कम पशु / 1 मवेशी इकाई वाले लाभार्थी भी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। सभी बड़े और छोटे पशुओं को बीमा के दायरे में लाने का प्रयास किया जाएगा।

जोखिम प्रबंधन और बीमा घटक में अनुदान के रूप में केंद्रीय निधियों से निम्नलिखित भुगतानों की परिकल्पना की गई है:</td></tr>
<tr><td>03</td><td>निधीयन पैटर्न</td><td>क. बीमा प्रीमियम के लिए सहायता का भुगतान निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा।
समान्य क्षेत्र

<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>केंद्रीय हिस्सा</th><th>राज्य हिस्सा</th><th>लाभार्थी का हिस्सा</th></tr>
<tr><td>बीपीएल/एससी/एसटी</td><td>40%</td><td>30%</td><td>30%</td></tr>
<tr><td>एपीएल</td><td>25%</td><td>25%</td><td>50%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य

श्रेणी	केंद्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	लाभार्थी का हिस्सा
बीपीएल/एससी/एसटी	50%	30%	20%
एपीएल	35%	25%	40%

संघ राज्य क्षेत्र

श्रेणी	केंद्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	लाभार्थी का हिस्सा
बीपीएल/एससी/एसटी	80%	शून्य	20%
एपीएल	60%	शून्य	40%

(ख) पशु चिकित्सा चिकित्सकों को मानदेय का 100% भुगतान और
(ग) 100% प्रचार

हालांकि, एक लाभार्थी भेड़, बकरी, सुअर और खरगोश को छोड़कर सभी पशुओं के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त किए बिना पूर्ण प्रीमियम का भुगतान करके 5 से अधिक पशुओं का बीमा कर सकता है। इसी तरह, एक लाभार्थी भेड़, बकरी, सुअर और खरगोश के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त किए बिना पूर्ण प्रीमियम का भुगतान करके 5 से अधिक 'पशु इकाई' का बीमा कर सकता है।

इस उद्देश्य के लिए, 'परिवार' को उसी तर्ज पर परिभाषित किया जाएगा जैसा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत अपनाया गया था, जिसे बाद में संक्षिप्तता के लिए मनरेगा के रूप में संदर्भित किया गया है। एक वर्ष के बजाय कम से कम तीन वर्ष के लिए पशुओं का बीमा कराने का प्रयास किया जाना चाहिए

04	**लाभार्थी**	राज्य पशुपालन विभाग। तथापि, इन सोसायटियों/संघों के सदस्यों के पशुओं को एक समूह के रूप में सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत दुग्ध समितियों/संघों को संबद्ध और शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। बीमा कंपनियों को इन सोसायटियों/संघों को प्रीमियम की दर के संबंध में कुछ और रियायतें देने के लिए भी राजी किया जाएगा क्योंकि अन्यथा उनके एजेंटों का काम कम हो जाएगा।

<table>
<tr><td>05</td><td>प्रीमियम की दर</td><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">एक वर्ष</td><td>(समान्य क्षेत्र)</td><td>4.5%</td></tr>
<tr><td>पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य</td><td>5.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">दो वर्ष</td><td>(समान्य क्षेत्र)</td><td>8%</td></tr>
<tr><td>पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य</td><td>9%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">तीन वर्ष</td><td>(समान्य क्षेत्र)</td><td>11%</td></tr>
<tr><td>पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य</td><td>11.5%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>06</td><td>कार्यान्वयन एजेंसी</td><td>राज्य पशुपालन विभाग और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी</td></tr>
<tr><td>07</td><td>बीमा कंपनियों का चुनाव</td><td>बीमा कंपनियों के चयन, बीमा, दावे के निपटान के लिए, कार्यान्वयन एजेंसी परिशिष्ट VI के अनुसार दिशानिर्देशों का पालन कर सकती है</td></tr>
</table>

परिशिष्ट और अनुबंध

परिशिष्ट- I

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए आउटपुट और आउटकम की रिपोर्टिंग (पैरा 5.4 देखे)					
आउटपुट (वर्ष)			**आउटकम (वर्ष)**		
आउटपुट	सूचक	लक्ष्य	आउटकम	सूचक	लक्ष्य
1. कुक्कुट उद्यमिता विकास	1.1 स्थापित इकाईयों की संख्या		1. पशुधन में रोजगार के बेहतर अवसर	1.1 सृजित नौकरियों की संख्या	
	1.2 सहायता प्राप्त लाभार्थियों की कुल संख्या		2. बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण	2.1 जोड़े गए किसानों की संख्या	
2. भेड़ और बकरी उद्यमिता विकास	2.1. स्थापित इकाईयों की संख्या		3. रोजगार के अवसर में सुधार	3.1 जोड़े गए किसानों की संख्या	
	2.2. सहायता प्राप्त लाभार्थियों की कुल संख्या		4. बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण	4.1 सृजित नौकरियों की संख्या	
3. सूअर उद्यमिता विकास	3.1 स्थापित इकाईयों की संख्या		5. पशुधन में रोजगार के बेहतर अवसर	5.1. जोड़े गए किसानों की संख्या	
	3.2 सहायता प्राप्त		6 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण	6.1 सृजित नौकरियों की संख्या	

	लाभार्थियों की कुल संख्या				
4. भेड़ और बकरी का आनुवांशिक उन्नयन	4.1 स्थापित क्षेत्रीय सीमेन स्टेशनों की कुल संख्या		7. भेड़ और बकरियों में नस्ल सुधार	7.1 उत्पादित सीमेन खुराक की कुल संख्या (लाख में)	
	4.2 स्थापित सीमेन बैंकों की कुल संख्या			7.2 किये गये कृत्रिम गर्भाधानों की कुल संख्या	
	4.3 बकरी एआई से सुसज्जित मौजूदा कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की कुल संख्या।		8. बेहतर उत्पादकता	8.1 उत्पादित क्रॉस नस्ल के पशुओं की संख्या	
	4.4 आयातित पशुओं की कुल संख्या				
5. सूअरों का आनुवांशिक उन्नयन	5.1 स्थापित सूअर सीमेन स्टेशनों की कुल संख्या		9. सूअर में नस्ल सुधार	9.1 सूअर में किये गये कृत्रिम गर्भाधानों की कुल संख्या	
				9.2 एआई के माध्यम से उत्पादित पिगलेट की संख्या	

6. चारा बीज के उत्पादन के लिए सहायता	6.1 चारा बीज के उत्पादन की मात्रा		10. अधिक चारा उत्पादन	उत्पादित चारे की मात्रा	
7. चारा उद्यम स्थापना के लिए सहायता	सहायता प्राप्त चारा उद्यमियों की कुल संख्या (संख्या में)		11.उद्यमियों द्वारा चारा उत्पादन को समृद्ध करना	11.1 साइलेज की मात्रा (टन में)	
	7.1. स्थापित साइलेज संयंत्रों की कुल संख्या			11.2 चारा ब्लॉक की मात्रा (टन में) / टीएमआर	
	7.2 स्थापित चारा ब्लॉक इकाइयों की कुल संख्या/ टीएमआर				
8. कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार	8.1 आईईसी अभियान की संख्या		12. किसान पशु चिकित्सक/पैरा पशु चिकित्सक का उन्नत कौशल पूल	12.1 कुशल किसानों / पशु चिकित्सकों / पैरा पशुचिकित्सकों की संख्या	
	8.2 आयोजित क्षमता निर्माण कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों की संख्या				

नोट: परिणाम और आउटपुट दोनों के साथ-साथ पूरे वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक तिमाही के लिए लक्ष्य इंगित किया जाना है

तिमाही आधार पर किए जाने वाले परिणाम और आउटपुट ढांचे की रिपोर्टिंग

परिशिष्ट- II

चारा बीज उत्पादन के लिए घटक सहायता के लिए आवेदन प्रारूप

क्र.सं.	घटक	विवरण
1.	राज्य का नाम	
2.	एजेंसी का नाम	
3.	एजेंसी की स्थिति। (केंद्र/राज्य/सार्वजनिक/निजी/स्वायत्त/अन्य/)	
4.	चारा बीज उत्पादन के लिए प्रस्तावित मौसम	
5.	चारा बीज का नाम तथा चारा बीज उत्पादन के लिए प्रस्तावित चारा बीज का वर्ग (ब्रीडर/फाउंडेशन/प्रमाणित)	
6.	किए जाने वाले बीज उत्पादन कार्यक्रम के स्थान (क्षेत्र और फसल के अनुसार)	
7.	संकेत दें कि चारा बीज उत्पादन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की पहचान की जा रही है। कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र में किए गए चारा बीज उत्पादन का विवरण प्रस्तुत करें सिंचाई की उपलब्धता/सिंचाई के स्रोत।.	

8.	चारा बीज उत्पादन के लिए प्रस्तावित मूल बीज के खरीद के स्रोत	
9.	कृपया चालू वर्ष सहित पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र/राज्य सरकार की योजना से प्राप्त सहायता का विवरण दें।	
10	चारा बीज उत्पादन के लिए तैयार की गई पंचवर्षीय कार्ययोजना	
11.	यह प्रमाणित किया जाता है कि एजेंसी भारत सरकार के वित्तीय नियमों और विनियमों और पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किए गए किसी भी समझौते का पालन करेगी।	

एजेंसी के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अनुशंसा प्राधिकारी.

चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता के लिए सांकेतिक लक्ष्य योजना परिशिष्ट - II के साथ संलग्न किया जाना है

राज्य/कार्यान्यवयन एजेंसी (आईए) का नाम:
मौसम:
वर्ष:

क्रं. सं.	**चारा बीज उत्पादन**	**बीज का वर्ग** **ब्रीडर/फाउंडेशन/प्रमाणित**	**लक्ष्य मात्रा (क्विंटल)**	**राज्य/आईए द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य**		**भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लक्ष्य**	
				भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
		नस्ल					
	i) मक्का						
	ii) ज्वार						
		फाउंडेशन					
	i) मक्का						
	ii) ज्वार						
		प्रामणित					
	i) मक्का						
	ii) ज्वार						

नोट: चारे के बीजों के नाम केवल सांकेतिक हैं, संपूर्ण नहीं। डीएएचडी जरूरत के अनुसार चारे के बीज की विस्तृत सूची जारी करेगा।

परिशिष्ट III

चारा बीज उत्पादन में सहायता के लिए तिमाही/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप

राज्य/ कार्यान्यवयन एजेंसी **(**आईए**)** का नाम**:** **मौसम: वर्ष:**

क्रं. सं.	**हस्तक्षेप**	**बीज का वर्ग ब्रीडर/फाउंडेशन /प्रमाणित**	**भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बीज उत्पादन का लक्ष्य (क्विंटल)**	**क्यूआई/II/III के लिए उपलब्धियां**		31 **मार्च तक उपलब्धि**	
	चारा बीज उत्पादन			भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
		नस्ल					
	i मक्का						
	ii ज्वार						
		फाउंडेशन					
	i मक्का						
	ii ज्वार						
		प्रामणित					
	i मक्का						

	ii ज्वार						

परिशिष्ट IV

उप-मिशन: अनुसंधान और विकास, विस्तार और नवाचार

अनुसंधान एवं विकास एवं नवाचार घटक के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रारूप

1.	संस्थान/संगठन का नाम:
2.	विभाग का नाम
3.	शोध समस्या/परियोजना का शीर्षक
4.	परियोजना का औचित्य
5.	प्रस्तावित परियोजना की वर्तमान स्थिति (संदर्भ सहित)
6.	परियोजना की संक्षिप्त कार्यप्रणाली
7.	परियोजना की अवधि (महीने)
8.	अपेक्षित परिणाम (पशुधन क्षेत्र में योगदान)
9.	वित्तीय निहितार्थ: (आवर्ती और अनावर्ती व्यय का विस्तृत विवरण)
10.	परियोजना के परिणाम को किसानों तक पहुंचाने के लिए एक ठोस योजना:
11.	प्रस्ताव से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी:
12.	पर्यवेक्षकों और सह पर्यवेक्षकों के नाम और हस्ताक्षर:
13.	संस्थान के प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि संगठन परियोजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र और प्रगति रिपोर्ट पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा।

परियोजना प्रशिक्षक/समन्वयक के हस्ताक्षर

अनुशंसा प्राधिकारी

परिशिष्ट V

विस्तार क्रियाकलापों के लिए आईईसी समर्थन के घटक के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1.	एजेंसी/संगठन/विभाग का नाम:
	क) पता:
	ख) टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर:
	ग) विभागाध्यक्ष की ईमेल आईडी:
2.	आवश्यकता और उपलब्धता की वर्तमान स्थिति
3.	सूचना समर्थन के,
	i) राज्य :
	ii) कार्यान्वयन एजेंसी के साथ:
4.	योजना के तहत पहले से विकसित विस्तार केंद्रों के स्थान और पते, यदि कोई हो और, विकसित किए जाने का प्रस्ताव है (पूरा विवरण प्रदान किया जाना चाहिए)।
5.	विस्तार योजना के साथ आईईसी अभियान/विस्तार क्रियाकलापों की प्रकृति
6.	पशुपालन विभाग के प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर:

बीमा कंपनी के चयन के लिए दिशा निर्देश, पशुओं का बीमा और दावा निपटान

1. बीमा कंपनी की नियुक्ति

प्रतिस्पर्धी प्रीमियम दरों के संदर्भ में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, पॉलिसी जारी करने और दावों के निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को बीमा कंपनी (कंपनियों) और उनकी नियमें और शर्तों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। अलग अलग राज्य की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी आईआरडीएआई मानदंडों के अनुसार आईआरडीएआई अनुमोदित मध्यस्थ को अधिदेश दे सकती है जिसने बीमा कंपनी के साथ निविदा में भाग लिया तथा एल1 पर अडिग रहा और प्रत्येक पक्ष की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पारिभाषित करने के लिए मध्यस्थ और बीमा कंपनी के साथ त्रिपक्षीय समझौते(एमओयू) किया। बीमा कंपनी का चयन करते समय, प्रस्तावित प्रीमियम दरों के अलावा, सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता, नियम व शर्तों और उद्देश्यपरक पैमानों पर उनकी सेवा दक्षता को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी उन सार्वजनिक और निजी सामान्य बीमा कंपनियों से लिखित रूप में कोटेशन आमंत्रित करेगा जिनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एक बड़े हिस्से में नेटवर्क है। राज्य को एक ईकाई मानकर पूरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केवल एक निविदा जारी की जानी चाहिए। निविदा में भौगोलिक क्षेत्र के प्रकार को पारिभाषित करने वाली 3 या अधिक मदें शामिल हो सकती हैं जिसके लिए बीमा कंपनी/एजेंसियों द्वारा अलग अलग प्रीमियम दरों का कोटेशन दिया जा सकता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा एक निविदा समिति का गठन किया जाएगा जिसमें एक प्रतिनिधि संयुक्त सचिव, डीएडीएफ भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा; जो भारत सरकार में एनएलएम के पशुधन विकास पर उप मिशन के एक घटक के रूप में 'जोखिम प्रबंधन और बीमा' के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

किसी भी स्थिति में प्रीमियम की दर समान्य क्षेत्र में 4.5 प्रतिशत, वार्षिक पॉलिसीयों हेतु उत्तर पूर्वी राज्यों/पर्वतीय राज्यों में 5.5 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों में, 8 प्रतिशत एनईआर/एनईआर/पर्वतीय राज्यों में दो साल की पॉलिसीयों के लिए 9 प्रतिशत तथा 11 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों के लिए एनईआर/एनईआर/पर्वतीय क्षेत्रों हेतु तीन साल की पॉलिसीयों हेतु 11.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

आमतौर पर, विशेष प्रकार के क्षेत्र के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बीमा कार्य एक एकल बीमा कंपनी को सौंपा जाना चाहिए और यदि एक से अधिक कंपनी एक समान प्रीमियम दर पर बोलियां लगाती है तो क्षेत्रों को यथासंभव समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए।

यदि सेवा कर लागू हो तो उसे संबंधित लाभार्थी/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार भुगतान करने की आवश्यकता है।

2. पशुओं को बीमित करने की प्रक्रिया

एनएलएम के नवाचार और विस्तार पर उप मिशन के घटक के रूप में 'जोखिम प्रबंधन और बीमा' की प्रभावकारिता के बारे में किसानों में विश्वास पैदा करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पशुओं की पहचान , पशुचिकित्सक द्वारा इसकी जांच, इसके मूल्य का आकलन और इसकी टैगिंग तथा साथ ही बीमा कंपनी व उसके एजेंट को मालिक द्वारा प्रीमियम के भुगतान को पूरा करने जैसी बुनियादी औपचारिकताओं के बाद ही पॉलिसी कवर प्रभावी हो। इसके लिए चयनित बीमा कंपनियों को सहमत होना होगा। हालांकि यह संभव है कि चयनित बीमा कंपनी पूरे प्रीमियम की अग्रिम मांग कर सकती है ताकि मालिक द्वारा लाभार्थी के हिस्से का भुगतान करने के तुरंत बाद बीमा कवर प्रभावी हो सके। इस समस्या से निपटने के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके द्वारा तीन महीने की अवधि में आम तौर पर बीमित होने की उम्मीद वाले पशुओं की अधिकतम संख्या के केंद्र और राज्य के हिस्से की प्रीमियम राशि का स्वीकार्य प्रतिशत भुगतान मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बीमा कंपनी को अग्रिम में किया जाये। चयनित बीमा कंपनी को अपनी ओर से अपनी शाखाओं को निर्देश जारी करना चाहिए कि जब भी मालिक द्वारा प्रीमियम के एक हिस्से का भुगतान किया जाता है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से पॉलिसी जारी करनी चाहिए। बीमा कंपनी को अग्रिम भुगतान के लिए एक माह की अवधि में बीमित पशुओं की संख्या प्राप्त करने का लक्ष्य वास्तविक आधार पर होना चाहिए और अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति संबधित बीमा कंपनी द्वारा की गयी प्रगति के आधार पर होनी चाहिए।

किसी पशु को उसके वर्तमान बाजार मूल्य पर बीमित किया जायेगा। बीम किये जाने वाले पशु के बाजार मूल्य का आकलन पशु चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में लाभार्थी और बीमा कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। पशु के न्यूनतम मूल्य का आकलन 3000 रू. प्रति लीटर प्रति दिन दूध की प्राप्ति या स्थानीय बाजार(सरकार द्वारा घोषित) में प्रचलित मूल्य के

अनुसार गाय के लिए तथा भैंस हेतु 4000 रू. प्रति लीटर प्रतिदिन दूध की प्राप्ति या स्थानीय बाजार (सरकार द्वारा घोषित) में प्रचलित मूल्य के अनुसार होनी चाहिए। बोझा ढोने वाले पशु (घोड़, गधे, खच्चर, ऊंट, टट्टू और मवेशी/भेंड़ जो कि नर हों) और अन्य पशुधन (बकरी, भेड़,सुअर, खरगोश, याक और मिथुन) के बाजार मूल्य का आकलन संयुक्त रूप से पशु के मालिक और बीमा कंपनी द्वारा पशुचिकित्सक की उपस्थिति में किया जाना है। विवाद की स्थिति में मूल्य निर्धारण का निराकरण ग्राम पंचायत/बीडीओं द्वारा किया जायेगा।

बीमा पॉलिसी जारी करते समय पशु की जांच भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत पशु चिकित्सकों द्वारा की जानी है।

बीमा के समय बीमित पशु को ठीक से टैग किया जाना चाहिए और विशिष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए पहले से ही अन्य कार्यक्रमों में टैग किये गये जानवर को फिर से टैग करने की आवश्यकता नहीं है और बीमा के लिए मौजूदा विशिष्ट पहचान (यूआईडी) टैग का भी उपयोग किया जाना चाहिए। कानों की टैगिंग एनडीडीबी द्वारा निर्मित 12 अंकों की विशिष्ट पशु आईडी संख्या के साथ होनी चाहिए। पशु चिकित्सक अपने दावे के निपटान के लिए निर्धारित टैग की आवश्यता और महत्व के बारे में लाभार्थियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि वे टैग के रखरखाव के लिए उचित देखभाल कर सकें। बीमा प्रस्ताव को तैयार करते समय 2 फोटो संलग्न की जानी चाहिए जिनमें से एक फोटो मालिक के साथ जानवर की और दूसरी उस जानवर की होनी चाहिए जिसमें उसका कान टैग स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

पशु की बिक्री या फिर पशु को एक मालिक से दूसरे मालिक को देने के मामले में, बीमा पॉलिसी की समाप्ति से पहले उस पॉलिसी की शेष अवधि के लिए लाभ लेने का अधिकार नए मालिक को देना होगा। बीमा कंपनी के साथ अनुबंध करते समय पशुधन पॉलिसी के हस्तांतरण के तौर-तरीके और हस्तांतरण के लिए आवश्यक शुल्क और बिक्री विलेख आदि का निर्णय हो जाना चाहिए।

3. दावे का निपटान

बीमाधारक को अनावश्यक कठिनाई से बचाने के लिए दावे के निपटान को विधि बहुत सरल और तेज होनी चाहिए। बीमा कंपनी से समझौता करते समय ..... दावे के निपटान हेतु आवश्यक दस्तावेज स्पष्ट होने चाहिए। बीमा कंपनियों को दावों के निपटान के लिए चार दस्तावेजों यथा

बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त सूचना, बीमा पॉलिसी के कागजत, दावा प्रपत्र तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। बीमा कराने के साथ-साथ दावों के निपटान के लिए सभी दस्तावेज/फार्म बीमा एजेंसी द्वारा स्थानीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराये जाने चाहिए। यदि किसानों के बीमा पॉलिसी के कागज की प्रति खो जाती है तो बीमा कंपनी तुरंत बीमा पॉलिसी का डुप्लीकेट कागज जारी करेगी। दावा देय होने की स्थिति में, बीमित राशि का भुगतान आवश्यक दस्तावेज जमा करने के उपरांत हरहाल में 21-25 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यदि कोई बीमा कंपनी दस्तावेज जमा करने के 21-25 दिनों के भीतर दावे का निपटान करने में विफल रहती है तो बीमा कंपनी लाभार्थी को प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। दावा देय होने की स्थिति में बीमित राशि का भुगतान अपेक्षित दस्तावेजों के जमा करने के बाद हरहाल में 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यदि कोई बीमा कंपनी दस्तावेज जमा करने के 15 दिनों के भीतर दावे का निपटान करने में विफल रहती है तो बीमा कंपनी लाभार्थी को प्रति वर्ष 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। पशु का बीमा करते समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि दावों के निपटारे के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं रखी गयी है और आवश्यक दस्तावेज सूचीबद्ध है तथा इसे पॉलिसी दस्तावेजों के साथ संबंधित लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाए। पशुओं की मृत्यु होने पर लाभार्थी को बीमा राशि का पूरा भुगतान मिलना चाहिए। यदि किसी दावे को निपटाने में देरी हो रही है या दावा निरस्त कर दिया गया है तो इसे संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दावेदार को जिला निगरानी समिति और एसआईए को सूचित करते हुए पूरी तरह से उचित ठहराया जाना चाहिए। इस तरह के प्रावधानों को बीमा कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन में शामिल किया जाना चाहिए।

4. पशुचिकित्सकों को मानदेय का भुगतान: पशुचिकित्सक पशु बीमा कराने के चरण में प्रति पशु 50 रू. मानदेय और किसी भी बीमा दावे के मामले में पोस्टमार्टम करने और पोस्टमार्टम प्रमाणपत्र जारी करने के स्तर पर प्रति पशु 125 रू. प्राप्त करने का पात्र होगा। केंद्र सरकार एसआईए को मानदेय के भुगतान के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध करायेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक तिमाही के अंत में पशु पशुचिकित्सकों को उनके द्वारा जारी पशु बीमा और पशु चिकित्सा प्रमाण-पत्र हेतु भुगतान किया जाए।

नोट: दावे के निपटान में चूक या बीमा कंपनियों की ओर से सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी को तुरंत बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के ध्यान में लाया जाना चाहिए जो इस

संबंध में देश में एक नोडल प्राधिकरण है तथा इसके साथ ही जिला निगरानी समिति ओर डीएएचडी, भारत सरकार को भी सूचित किया जाए।

निगरानी: डीएएचडी, डेटा के रखरखाव हेतु एमआईएस प्रणाली विकसित करेगा। लाभर्थियों की वास्तविक निगरानी के लिए राज्य सरकार को सलाह दी जायेगी। राष्ट्रीय समीक्षा बैठक और क्षेत्रीय और राज्य समीक्षा बैठकों के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी।

अनुबंध I

ग्रामीण कुक्कुट उद्यमिता के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए पात्र मदों की सांकेतिक सूची

(1000 **पोल्ट्री पैरेंट स्टॉक प्रतिदिन**500 **हैचिंग अंडे प्राप्त करने के लिए)**

क्र.सं.	विवरण	इकाई
1	शेडों का निर्माण (30 फुट x 100 फुट)	3000 वर्गफीट
2	इलेक्ट्रिक ब्रूडर (1000डीओसी/ब्रूडर .)	2
3	चिक फीडर (एक फीडर/60चूजे)	18
4	चिक ड्रिंकर (एक ड्रिंकर /60चूजे)	18
5	वयस्क फीडर (एक फीडर / 60वयस्कपक्षी)	18
6	वयस्क ड्रिंकर (एक ड्रिंकर /60वयस्कपक्षी)	18
7	1100 पेरेंट स्टॉक की लागत (1000 एफ + 100 एम)	1100

2250 दिन पुराना चूजा प्राप्त करने के लिए प्रति सप्ताह 3000 हैचिंग अंडे सेने के लिए हैचरी)		
क्र.सं.	विवरण	इकाई
1	1हैचरी भवन का निर्माण (30' फीटx 100 फीट)	3000 वर्ग फुट
2	15000 अंडों की क्षमता वाला इंक्यूबेटर	1
3	5000 अंडों की क्षमता वाला हैचर	1
4	जेनरेटर सेट (15 केवीए)	1
2000 चूजों को 4 सप्ताह तक पालने के लिए मदर यूनिट		
क्र.सं.	**विवरण**	**इकाई**

1	8000 डीओसी के लिए शेडों का निर्माण (20 फुटX 50 फुट) X 4	4000 वर्ग फुट
2	इलेक्ट्रिक ब्रूडर(1000 डीओसी/ ब्रूडर)	6
3	चिक फीडर(50 डीओसी/ फीडर)	160
4	चिक ड्रिंकर(50 डीओसी/ ड्रिंकर)	160

अनुबंध II

500**मादा और**25 **नर भेड़ और बकरी के ब्रीडर बकरी फार्म की स्थापना के लिए भेड़ और बकरी उद्यमिता के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र मदों की एक सांकेतिक सूची**		
क्र.सं.	**विवरण**	**इकाई**
1	पेरेंटिंग स्टॉक के लिए आवास शेडों का निर्माण (55फुट. x100फुट)	5500 वर्ग फुट
2	मेमनों के लिए शेड और बीमार पशुओं के लिए बाड़ा	3500 वर्ग फुट
3	बकरी का मूल्य	500
4	बकरे का मूल्य	25
5	परिवहन लागत	525
6	चारे की खेती	5 एकड़
7	चारा कटर	2
8	एकीकृत साइलेज बनाने की मशीन	1
9	उपकरण	525 पशुओं के लिए
10	बीमा	525 पशुओं के लिए
11	विविध	आवश्यकतानुसार

अनुबंध III

सुअर पालन उद्यमिता के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र मदों की सांकेतिक सूची (100बोनाऔर10 सूअर)		
क्र.सं.	**विवरण**	**इकाई**
क	**सुअरआवास कानिर्माण**	
1	मादा सुअर के लिए शेड का निर्माण प्रति पशु 20 वर्ग फुट की दर से (100 पशुओं के लिए)	2000 वर्ग फुट
2	सूअर इकाई के लिए निर्माण 20 वर्ग फुट प्रति पशु की दर से	700 वर्ग फुट
3	50 मादा सुअर के लिए 80 वर्गफुट की दर से फैरोइंग पेन (50% सूअरों को फैरोइंग में अनुमति दी जाती है)	4000 वर्ग फुट
4	पिगलेट के लिए पेन के निर्माण की लागत 3000 पिगलेटकेलिए 10 वर्गफीट प्रति पिगलेट	30000 वर्ग फुट
5	स्टोर रूम 500 वर्ग फुट	500 वर्ग फुट
ख	**प्रजनन के लिए पिगलेट की लागत**	
1	करीब 50 किलो के 100,पांच महीने गिल्ट की कीमत	100
2	करीब 60 किलो के 100,पांच महीने गिल्ट की कीमत	10
ग	**अन्य लागत**	
1	उपकरणो की कीमत	110 पशुओं के लिए
2	पिगलेट्स के लिए उपकरण	3000 के लिए
3	बीमा लागत (7.5%की दर से)	110 के लिए
4	पशुचिकित्सा सामग्री	110 के लिए
	कुल (ग)	
	कुल लागत क+ख+ग	

अनुबंध IV

उद्यमियों के लिए साइलेज बनाने वाली इकाई के लिए वित्त पोषण के लिए पात्र घटकों की सांकेतिक सूची (उत्पादन क्षमता 2000-2400 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष)

क्र.सं.	**मद**
01	सामग्री के लिए 200 वर्ग फुट प्रतिशेड और गोदाम (2000 वर्गफुट) का निर्माण
02	बेलिंग यूनिट (120-150 मीटर) - एक
03	एक हार्वेस्टर
04	बिजली संचालित एक भूसाकटर
05	संयंत्र और मशीनरी की स्थापना लागत
06	मशीनरी भंडारण के लिए शेड (60'x50'x20')200 प्रतिवर्ग फीट
07	मौंटेड ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर- एक

उद्यमिता के लिए चारा ब्लॉक बनाने वाली इकाई के लिए वित्त पोषण हेतु पात्र घटकों की सांकेतिक सूची (30 मीट्रिक टन/दिन)

क्र.सं.	**मद**	**मात्रा**
01	इलेक्ट्रिक मोटरस्टार्टर, पैनलबोर्ड, वी-बेल्ट, पुली आदि के साथ एलडी-एचडी कटिंग एलडी कम घनत्व वाली सामग्री (जैसे धान के भूसे)	01
02	इलेक्ट्रिक मोटर, एचडी-उच्च घनत्व सामग्री के साथ एचडी-एलडी मिक्सर (गाढ़ा पूर्व-मिक्स)	01

03	इलेक्ट्रिक मोटर्स स्टार्टर, हाइड्रोलिक ऑयल, कूलिंग सिस्टम के साथ डैंसिफाइडटीएमआर ब्लॉक मेकर	02
04	प्लेटफार्म इलेक्ट्रॉनिक वजन स्केल	02
05	टैटरठेकेदारों, रिलेमीटर, नाली, और फिटिंग, केबलट्रे आदि के साथ पूरा मुख्य नियंत्रण कक्ष।	1 लॉट
06	डबलधागे वाली सिलाईमशीन	02 सेट
07	शीराभंडारण टैंक (2 एमटीक्षमता) ओएचशीरा टैंक (80 किग्रा) क्षमता	01 सेट
08	ग्राइंडिंग सेक्शन में चुंबक के टुकड़े को जोड़ने वाली लिफ्ट मोटर लगी होती है। एमएस में ग्राइंडेबल्स के लिए बिन हैंडल संचालित, हैमरमिल हाफ-सर्कल क्षमता 2 एमटी प्रति घंटा एक चलना के साथ और मोटर और ड्राइव भागों से सुसज्जित है।	02 सेट
09	मोटर के साथ डिस्चार्ज के साथ ग्राउंड मैटेरियल लिफ्टिंग लिफ्ट और डिस्चार्ज कंट्रोल के साथ बैच मिश्रण के ऊपर चुंबक बिन के कनेक्टिंग पीस के साथ लगे मिक्सिंग सेक्शन। मोटर के साथ लगे एमएस कंस्ट्रक्शन के साथ पैडल टाइपबैच मिश्रण।	01 सेट
10	बिजली की आपूर्ति (जेनरेटरसेट) 140 केवीए	01 सेट
11	मशीनरी के लिए शेड (60'x50'x20')200 रु.प्रतिवर्गफीट	01 सेट
12	कच्चे माल के भंडारण के लिए शेड (60'x100'x20') 200 रु. प्रतिवर्गफीट	01 सेट

अनुबंध **V**

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के विभिन्न उपमिशनों के तहत सहायता के लिए आवेदन प्रपत्र

	फोटो
	हस्ताक्षर

क्र.सं.	**विवरण**	
1.	उपमिशन जिसके तहत सहायता की आवश्यकता है	
2.	लाभार्थी का नाम	
3.	पिता का नाम/पति का नाम	
4.	माता का नाम	
5.	आधार नं.	
6.	मोबाइल नं.	
7.	पता	
8.	श्रेणी (सामान्य/ एससी/ एसटी/ ओबीसीऔरअन्य)	
9.	शैक्षिक योग्यता	
10.	पशुधन खेती में अनुभव	
11.	क्या किसी पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण में भाग लिया है (यदि हां, तो विवरण दें)	
12.	कृषि/व्यावसायिक गतिविधियों से वार्षिक आय	
13.	भूमि अधिग्रहण/पट्टा (एकड़ में)	

14.	रखे जा रहे पक्षियों/ जानवरों की संख्या	
15.	परियोजना की लागत	
16.	अपेक्षित उत्पादन	
17.	सब्सिडी की राशि	
18.	क्या इस उद्देश्य के लिए सब्सिडी पहले ली गई है ?	
19.	जीआईएस स्थान	
20.	एकीकृत करने के लिए प्रस्तावित छोटे किसानों की संख्या	
21.	50% परियोजना लागत का स्रोत (लाभार्थी का हिस्सा)	
	बैंक विवरण	
20.	पैन नंबर	
21.	बैंक खाता संख्या	
22.	बैंक का नाम	
23.	बैंक शाखा का पता	
24.	बैंक का आईएफ़एससी कोड	
25.	बैंक का एमआईसीआर कोड	
26.	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	

(आवेदक के हस्ताक्षर**)**

संलग्नक:

- सहायक दस्तावेज [पते का प्रमाण, आधारकार्ड, जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), भूमि जोत का प्रमाण (स्वामित्वयापट्टा), शिक्षा प्रमाणपत्र, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी, आय प्रमाण, पिछले छह महीनों का बैंकविवरण
- कुल लागत, आवर्ती लागत, शुद्ध आय आदि सहित विस्तृतपरि योजना रिपोर्ट

- नाम, आधारनंबर, मोबाइलनंबर और उद्यमी से जुड़े/ संबंधित किसानों का पता
- परियोजना क्षेत्र की तस्वीर
- पहले किए गए किसी भी पशुपालन क्रियाकलापों के बारे में अनुभव
- शेष **50%** परियोजना लागत का प्रमाण (लाभार्थी का हिस्सा)
- परियोजना स्थल की जीआई टैगिंग

राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सिफ़ारिश

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त उद्यमयिता के तहत निधियाँ के लिए प्रस्तावित परियोजना स्थल का निरीक्षण किया है । श्री. _____, गांव_____ के निवासी, आवेदक सब्सिडी जारी करने के लिए सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं और उन्हे यह जारी किया जा सकता है । तस्वीरें इसके साथ संलग्न हैं।

राज्य-

हस्ताक्षर

अनुबंध-VI

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पात्रलो इनपुट प्रौद्योगिकी पक्षियों की सांकेतिक सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्टॉक का प्रकार
	सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन	
1.	केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन और प्रशिक्षण संस्थान (एसआर), बैंगलोर।	क) चबरों ख) कलिंगा ब्राउन ग) कावेरी
2.	केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन (ईआर), भुवनेश्वर।	कलिंगा ब्राउन
3.	केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन (एनआर), चंडीगढ़	चबरों
4.	केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन (डब्ल्यूआर), मुंबई।	कलिंगा ब्राउन (कड़कनाथ के स्टॉक भी उपलब्ध हैं)
5.	पोल्ट्री पर परियोजना निदेशालय, आईसीएआर, हैदराबाद	a) ग्रामप्रिय b) वनराजा
6.	सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर	a) करी गोल्ड b) निर्भीक c) हितकारी d) करी- देवेंद्र e) उपकारी
7.	कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर, कर्नाटक	a) गिरिराज b) गिरिरानी c) स्वर्णधारा
8.	कुक्कुट अनुसंधान केंद्र, नंदनम, चेन्नई,तमिलनाडु	नंदनम 99
9.	केरल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, मन्नुथी	a) ग्रामलक्षमी b) ग्रामश्री c) कृषिप्रिय
10	श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, राजेंद्र हैदराबाद	राजश्री

	निजीक्षेत्रकेसंगठन	
1.	डॉ यशवंत एग्रीटेक प्रा॰ लिमिटेड, जलगांव,	सतपुड़ा-देसी
2.	महाराष्ट्र	रेनबो रूस्टर
3.	इंडब्रो रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म प्रा॰ लिमिटेड,	कुरोइलर
4	हैदराबाद	शिप्रा

इस सूची को इस विभाग द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अद्यतन किया जा सकता है और अद्यतन सूची को विभाग की वेबसाइट http://dahd.nic.in पर भी डाला जाएगा।

Annexure VII

Performa Bank Guarantee

(From any scheduled commercial bank to be valid for three years)

This Deed of Guarantee executed on this _____day of _____, 20…. at by (from any scheduled commercial bank), having its Head Office / Registered Office at and inter-alia a Branch Office at___(hereinafter referred to as the Bank or 'the Guarantor', which expression shall unless it be repugnant to the subject or context hereof be deemed to include its successors and assigns).

In favour of Department of Animal Husbandry and Dairying Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (DAHD), Government of India, Kishi Bhawan New Delhi Bhawan, New Delhi-110001 (hereinafter referred as "DAHD")

WHEREAS

A. [……..], Individual/ Farmers Producer Organization, Joint Liability Group (JLG)/ Farmers Cooperative Organization/ Section 8 companies under----------and having its Registered Office/ Home at [---- ---------] (herein after referred to as 'the Applicant" which expression unless repugnant to the subject or context includes its successors. Legal representatives and permitted assigns) and has been awarded approval under the above scheme vide Letter Reference ---------- ---------- dated……..

B. In terms of the undertaking dated ---------- and Clause -------- of the Guidelines Reference No. --------dated, the Applicant has to provide a Bank Guarantee for an amount equivalent to INR which is calculated in line with the undertaking.

C. At the request of the Applicant, the Guarantor has agreed to provide this guarantee, being these presents, guaranteeing the due and punctual performance / discharge by the Applicant of its obligations.

NOW THEREFORE THIS DEED WITNESSETH AS FOLLOWS

The Guarantor hereby irrevocably guarantees the due and compliance of terms by the Applicant of all its obligation under the said undertaking and approval letter, as amended from time to time.

A. The Guarantor shall, without demur, paytoDAHDsumsnotexceedingin aggregate ---------- ---- (INR ----------) within five (5) bank working days (as per the Reserve Bank of India) of receipt of a written demand thereof from DAHD stating that the Applicant has failed to meet its obligations under the said undertaking. The Guarantor shall have not to go into the veracity of any breach or failure on the part of the Applicant or validity of the demand so made by DAHD shall pay the amount specified in the demand notwithstanding any direction to the contrary given or any dispute whatsoever raised by the Applicant or any other person. The Guarantor's obligations hereunder shall subsist until all such demands are duly met and discharged in accordance with the provisions hereof;

B. The Guarantor agrees that its liability under this guarantee shall in no manner be affected by any such variation, alteration, modification, waiver dispensation and that no further consent of the Guarantor is required for giving effect to any such variation, altercation, modification, waiver dispensation with or release of security;

C. This Guarantee shall be irrevocable and shall remain in full force for three years from the date of issuance.

D. Until and unless discharged / released earlier by DAHD in accordance with the provisions of the said undertaking, the Guarantor 's liability in aggregate shall be limited to a sum of INR ---------- ----- (INR)

E. This Guarantee shall not be affected by any change in the constitution or winding up of the Applicant / Guarantor or and absorption, merger or amalgamation of the Applicant / Guarantor with any other person;

F. The Guarantor has power to issue this Guarantee and discharge the obligations contemplated herein, and the undersigned is duly authorized to execute this Guarantee pursuant to the power granted under.

All future correspondence with reference to this Guarantee shall be made to..... (Bank Na The jurisdiction in relation to this Guarantee shall be the Courts at New Delhi and Indian Law shall be applicable.

IN WITNESS WHEREOF THE GUARANTOR HAS SET ITS HANDS HEREUNTO ON THE: DAY, MONTH AND YEAR FIRST HEREINABOVE WRITTEN

SIGNED AND DELIVERED by

Bank by the hand of it's……

and authorized official.

Name and Address).

Annexure VIII

Performa for submission of Bank Guarantee

(Undertaking from the Applicanton the letter head)

1. 1/ We,……., hereby, acknowledgethat theback ended subsidy that would / may be providedto me/us under the Entrepreneurship programme under National Livestock Mission forestablishment of …… at village……District…….in India, as per the Guidelines, communications, after relying upon, the information provided by us to avail the said subsidy.

2. We hereby confirm that the information provided by us for availing the saidback ended is true, correct and complete in all respects and that nomaterial fact/information that may have an advers eimpact on the information provided by us for availing the said Incentive has been concealed.

3. Wehere by confirm that the Committed Investment of the 25% of the project cost, as per the approval letter, is to be made by us within six months from our own fund the date of approval letter.

4. With regard to the aforesaid transactions, we here by undertake the following:

We undertake to provide Bank Guarantee/sfrom a schedule commercial Bank for the amount which is mentioned below:

Sl. No.	Particulars	Details
1.	Dateofissuanceof Approval Letter	
2.	ValidityperiodofBG*	
3.	AmountofBG	

* Valid for three years or renewed till the date DAHD release such Guarantee which ever is later.

A. We understand and agree that, we are legally bound to renew the BG / issue fresh BG, failing which MoFPI/PMA may invoke the BG.

B. In case of loss, mutilation, force majeure or any other eventualities, withrespect to Original BG (favouring DAHD), DAHD will not be liable for the same and the onus would be with us to arrange for alternate/duplicate BG in place of the original BG.

We also understand that the BG will be invoked or released as per the provision in the guidelines.

Date Signature

(Name & designation with address)

Annexure-IX

Performa for integrity compliance

(To be signed by full time Director / CEO / MD of the company/ Partner/ Proprietor of the firm duly depicting the designation and submitted on official stationery of the Applicant along- with the authorization to do so)

Format- A: Initial Undertaking

1**.** Whereas, the Applicant namely _____ has submitted an Application under National Livestock Mission for establishment of the project…….. (Name of the project), seeking Subsidy for entrepreneurship development.

2**.** Now, therefore, the Applicant commits to observe the following principles during his / her association / engagement with DAHD with the process of appraisal and verification of Application for the approval of Application and disbursement of Subsidies under NLM Scheme.

2.1**.** The Applicant will not directly or through any other person or firm, offer, promise or give to any of the DAHD's officer(s) or consultant or agency representative (appraisal or/and PMA appointed by DAHD to handle the Application) involved in the process of dealing with Application or to any third person any material or other benefit which he/she is not legally entitled to in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever before or during or after the process of the Application for grant of approval or disbursement of Subsidies under the scheme.

2.2**.** The Applicant will not commit any offence under the relevant Indian Penal Code, 1860/ Prevention of Corruption Act, 1988. Further, the Applicant will not use improperly, for purposes of competition or personal gain, or pass on to others, any information or document provided by the DAHD.

2.3**.** The Applicant will disclose any and all payments he/she has made, is Committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries, other than regular employees or officials of the Applicant, in connection with the grant of approval or/and disbursement of Subsidies.

2.5**.** The Applicant will not offer any illicit gratification to obtain unfair advantage.

2.6**.** The Applicant will not collude with other parties to impair transparency and fairness.

2.7**.** The Applicant will not give any advantage to anyone in exchange for unprofessional behaviour.

3. The Applicant agrees that if it is found that the Applicant has made any incorrect statement on this subject, the Application will be closed or rejected and DAHD reserve the right to initiate legal action of whatsoever nature. In case if DAHD has disbursed the Subsidies under NLM Scheme, the amount disbursed to Applicant be recoverable along with interest calculated at 3 years SBI MCLR prevailing on the date of disbursement, compounded annually, besides

blacklisting of the Applicant and initiation of legal action of whatsoever nature at the discretion of DAHD.

4. The contents of the above undertaking have been gone through and after understanding the same is being executed / given on……day of ……. (month / year)

Date *Signature*

(*Name in full & designation with address*)

Annexure -X

SURETY BOND (TO BE PROVIDED AS REGISTEREDBOND)

I / We, M/s._____, a beneficiary under National Livestock Mission located at address at_____ (hereinafter called the "Obligers") are held fully and firmly bound to the President of India (hereinafter called the "Government") for the sum of Rs. _____/- (Rupees _____only) well and truly to be paid to the Government on demand and without a demur for which payment I/ we firmly bind myself/ ourselves and our successors and assignees by these presents.

SIGNED on the _____day of _____ in the year Two Thousand……...

WHEREAS on the Obligers' request, the Government as per Sanction Order No. _____Dated _____ (hereinafter referred to as the "Letter of Sanction") through which back ended subsidy of Rs. _____/- (Rupees _____only) for the purpose of setting up of project…… under National Livestock Mission developed By M/s._____(description of the Entrepreneurs/ Eligible Entity) at_____, out of which the sum of "Rupees_____" have been paid to the Obligers (the receipt of which the Obligers do hereby admit and acknowledge) on condition of the Obligers executing a bond in the terms and manner contained hereinafter which the Obligers have agreed to do.

NOW the condition of the above written obligation is such that if the Obligers duly fulfill and comply with all the conditions mentioned in the letter of sanction and the scheme guidelines. The Obligers will abide by the terms & conditions of the subsidy by the target dates, if any specified therein.

THAT the Obligers shall not divert the subsidy amount and entrust execution of the Project or work concerned to another institution(s) or organization(s).

THAT the Obligers shall abide by the clauses indicated in the scheme guidelines under which the above subsidy has been sanctioned and any other conditions specified in this agreement and in the event of their failing to comply with the conditions or committing breach of the guidelines/ bond, the Obligers individually and jointly will be liable to refund to the President of India, the entire amount of the subsidy with interest of 10% per annum thereon. If a part of the subsidy is left unadjusted/ unspent after the expiry of the period within which it is required to be spent, interest @10% per annum shall be charged upto the date of its refund to the Government, unless it is agreed to be carried over.

THAT the 'Obliger' is committed to run the project for which the back ended subsidy has been provide for a minimum period of three years and shall not demolish, close, change of propriety or sale out the equipment, machinery or any part of the project.

THAT the 'Obliger' shall intimate the Department of Animal Husbandry and Dairying and also the State Implementing Agency, in case of damage of the project in case of FORCE MAJEURE, for taking decision on the fate of the subsidy.

AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS THAT the decision of the Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying to the Government of India on the question whether there has been breach or violation of any of the terms or conditions mentioned in the sanction letter shall be final and binding upon the Obligers and;

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed as under on behalf of the Obligers the day herein above written in pursuance of the Resolution No._____ Dated _____passed by the governing body of the Obligers (in case of the FPOs/ FCOs/JLGs/ SHG and Section 8 companies), a copy whereof is annexed hereto as Annexure-II and by _____ for and on behalf of the President of India on the date appearing below:-

Signature of the AUTHORISED PERSON

Signed for and on behalf of

(Name of the Obliger in block letters)

(Seal / Stamp of Organization)

1. Signature of witness

Name & Address

_____

_____

_____

2. Signature of witness

Name & Address

_____

_____

अनुबंध XI

विभिन्न इनपुट के लिए आपूर्तिकर्ताओं की सांकेतिक सूची

I. एक दिन के चूजों के लो-इनपुट प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं की सांकेतिक सूची

क्र.सं	स्टॉक का प्रकार	संस्था का नाम और संपर्क का पता
1.	क) चांबरो ख) कलिंगा ब्राउन ग) कावेरी	केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन और प्रशिक्षण संस्थान (एसआर), हेसरघट्टा, बैंगलोर - 560088, कर्नाटक ई-मेल: cpdoti@gmail.com 080-28466239/28466226/28466240
2.	कलिंगा ब्राउन	केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन (ईआर), नयापल्ली (जयदेव बिहार के पास), भुवनेश्वर-751012, ओडिशा। ई-मेल:- cpdo_er@rediffmail.com फोन:- 0674-2420175(ओ)
3.	चांबरो	केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन (एनआर), औद्योगिक क्षेत्र, फेज- I, चंडीगढ़ - 160002। ई-मेल: cpdonrchd@gmail.com दूरभाष: 0172-2655391/460
4.	क) कलिंगा ब्राउन ख) कड़कनाथ	केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन (डब्ल्यूआर), आरेमिल्क कॉलोनी, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई - 400 065 ई-मेल: cpdo_mum65@yahoo.com +91 22 29272497
5.	क)ग्रामप्रिय ख) वनराजा	आईसीएआर - कुक्कुटअनुसंधाननिदेशालय राजेंद्रनगर, हैदराबाद **500 030,** तेलंगाना, भारत फोन: +91-40-24018687 ईमेल: dprhatchery@gmail.com
6.	क) करी गोल्ड ख) निर्भीक ग) हितकरी घ) करी देवेंद्र ड़) उपकरी	भाकृअनुप-केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली, इज्जतनगर-2431 122 ई-मेल: cari_director@rediffmail.com दूरभाष:581-2303223; 230204

7.	क) गिरिराजा ख) गिरिरानी ग) स्वर्णधारा	कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नंदीनगर, बीदर- 585 401, कर्नाटक ई-मेल: regkvafsu@gmail.com दूरभाष: 08482-245241
8.	नंदनम 99	कुक्कुट अनुसंधान केंद्र, माधवरममिल्क कॉलोनी, चेन्नई - 600 051। ई-मेल: ippm@tanuvas.org.in दूरभाष: 044-25552650
9.	क) ग्रामलक्षमी ख) ग्रामश्री ग) कृषिप्रिय	केरल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, मन्नुथी एवियन साइंसेज एंड मैनेजमेंट कॉलेज, अलनल्लूरवाया, पलक्कड़थिरुवाज़मकुन्नू -678 601 pfso@kvasu.ac.in, casmt@kvasu.ac.in, acadcasmt@kvasu.ac.in 04924 208206, 8281028206
10.	राजश्री	श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद कुक्कुटविज्ञानविभाग, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, तिरुपति - 517 502। ई-मेल: adcvsctpt@gmail.com, drshakilas@yahoo.co.in दूरभाष: 0877-2249932, 09440167225
11.	सतपुड़ा देसी	डॉ यशवंत एग्रीटेक प्रा॰लिमिटेड, 265, भास्करमार्केट, जलगाँव– 425001, महाराष्ट्र ई-मेल: aditya344@gmail.com मोबाइल: 9423769495; 9423492238
12.	रेनबो रूस्टर	इंडब्रो रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म प्रा॰लिमिटेड, मकाननं: 2-4-118/117, दक्षिण स्वरूपनगर, उप्पल, हैदराबाद-500 039. e-mail: drkotaiah@indbropoultry.com; info@indbropoultry.com Tel.: 040 – 2721 5594; 040 – 2414 5594
13.	कुरोइलर	केग फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, 8वींमंजिल, इरोसअपार्टमेंट, 56नेहरूपैलेस, नईदिल्ली - 110019। ई-मेल: info@keggfarms.com मोबाइल: 08448455564
14.	शिप्रा	शिप्राहैचरी, फ्लैटनंबर6, रिज़वीबिल्डिंग, जमालरोड, केनराबैंककेपास, पटना-800008, बिहारमोबाइल: 09801765464

बकरी के जर्म प्लाज्म के लिए फर्म्स की सांकेतिक सूची

सरकारी बकरी प्रजनन फर्म

फर्म का नाम	नस्ल
कुलेंजरा, पंजाब	
मटेवारा, पंजाब	
कोलकाता, पंजाब	
कोतुलपुर बकरी सह चारा फार्म, मुराकाटा, कोटईपुर, बांकुरा	बकरी (ब्लैकबंगाल)
डब्ल्यू.बी.एल.डी.सी के तहत बकरी फार्म, हिंगहाटाफार्म, मोहनपुर, नादिया-पश्चिम बंगाल	बकरी (ब्लैकबंगाल)
डेयरी बकरी फार्म राजबाग, जम्मू	बीटलबकरी327
	1. मालाबारी, 2. अट्टा पट्टीब्लैक, 3. बोअर
बकरी प्रजनन केंद्र, धोनी, केरल	4. सिरोही, 5. बीटल

निजी बकरी प्रजनन फार्म

फर्म का नाम	नस्ल
राजदीप बकरी फार्म, ग्राम-शिवलालपुर जोशी- बैलपोखरा (रामनगर) जिला-नैनीताल	बरबरी, पंतजा, सिरोही, तोतापारी, स्थानीयब्रेड
मोहम्मद राशिद, स्टार बकरी फार्म वृंदावन, मथुरा, यूपी	
गणेशराम, वीपीओधोधसर, जिला-जयपुर, राजस्थान	बरबरी बकरियां
अजयपरिहार, उत्तराखंड जैविक बकरी फार्म,	सोजत, तोतापुरी

ग्राम मुझोली तहसील रानीखेत, जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखंड	
सवाई सिंह, ग्रामनरवा, जिला-जोधपुर, राजस्थान।	सिरोही
भगवान सिंह आर्य, भरतपुर	बारबरी
कृष्णकुमारएएन, विस्तारा बकरी फार्म, 158, पद्मौपद्य लेआउट, नागदेवनहल्ली, केंगेरी, मांड्याजिला, बेंगलुरु कर्नाटक।	बीटल
दीपकपाटीदार, गोटवालाफार्म, ग्रामसुंदरेल, तहसीलधरमपुरी, जिला-धारएमपी	सिरोही, सोजत, बरबरी, बीटल
सुधीरनवनाथफंडे, कामधेनु कृषिपशु, गत संख्या 164 वाघुड़पोस्ट धनोरामलकापुर जिला बुलढाणा महाराष्ट्र	उस्मानाबादी

भेड़ जर्म प्लाज्म के लिए फर्म्स की सांकेतिक सूची

सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म

क्र.	जम्मू संभाग में भेड़/ बकरी प्रजनन फार्म	नस्ल
1.	सरकार भेड़ प्रजनन और अनुसंधान फार्म रियासी /ज़बान, जम्मू	रामबाउलेटभेड़
2.	सरकार भेड़ प्रजनन फार्म पंथल, जम्मू	रामबाउलेटऔर डोरपरभेड़
3.	सरकार भेड़ प्रजनन फार्म ठथरी, जम्मू	रामबाउलेटभेड़
4.	सरकार भेड़ प्रजनन फार्म बिलावर /सार्थल, जम्मू	रामबाउलेटभेड़
5.	सरकार भेड़ प्रजनन फार्म बलनोई, जम्मू	रामबाउलेट भेड़
6.	सरकार भेड़ प्रजनन फार्म चंद्रकोट, जम्मू	रामबाउलेटभेड़
7.	केंद्रीय गैरोल भेड़ परियोजना, राज्य पशुधन फार्म, कल्याणी, नादिया, पश्चिम बंगाल	भेड़ (गरोल)

जम्मू संभाग में भेड़ और बकरी के झुंड वाले निजी भेड़ प्रजनक

क्र.सं.	भेड़/ बकरी प्रजनकों का नाम और पता	नस्ल
1.	श्री हाजी निजामदीन खटाना पुत्र हाजी मोहम्मद जुबैरसुरिंसर /बीरपुर, जम्मू (ग्रीष्म कालीन मुख्यालय साईंनाला/ वारवान), जम्मू	क्रॉस ब्रीडरैंबौइलेट भेड़ और कघानी बकरियां
2.	श्री हाजी जुनैद पुत्र हाजी मोहम्मद जुबैर, सुरिनसर	क्रॉस ब्रेडरैंबौइलेट भेड़ और कघानी बकरियां

	/बीरपुरजम्मू (ग्रीष्म कालीन मुख्यालय साईंनल्लाह वारवान), जम्मू	
3.	श्रीअल्ताफअहमदपुत्रबशीरअहमद, महतका (कालाकोट)/लाम (नौशेरा)/थंडापानी (सुंदरबनी) राजौरी (ग्रीष्मकालीनमुख्यालयकंगन), जम्मू	क्रॉस ब्रेडरैंबौइलेट भेड़ और कघानी बकरियां
4.	श्रीइश्तियाकपुत्रमोहम्मदहुसैन, डियानी, सांबा (ग्रीष्मकालीनमुख्यालयकैंथल/कारगिल), जम्मू	क्रॉसब्रेडरैंबौइलेटभेड़औरकघानीबकरियां
5.	श्रीमोहम्मदसादिकखतानापुत्रअब्दुलरशीदखटाना, रत्नुचक, सांबा (ग्रीष्मकालीनमुख्यालयसाईंनाला/वारवान), जम्मू	क्रॉसब्रेडरैंबौइलेटभेड़औरकघानीबकरियां
6.	श्रीइकबालफाम्ब्रापुत्रसुबा	क्रॉसब्रेडरैंबौइलेटभेड़औरकघानीबकरियां

सुअर के जर्मप्लाज्म के लिए फर्म्स की सांकेतिक सूची

सरकारी सुअर प्रजनन फार्म

क्र.सं.	फर्म का नाम	नस्ल
1.	छजू-माजरा-मोहाली, पंजाब	लार्जव्हाइटयॉर्कशायर
2	नाभा - पटियाला, पंजाब	लार्जव्हाइटयॉर्कशायर
3	मालवल - फिरोजपुर, पंजाब	लार्जव्हाइटयॉर्कशायर
4	साड्डा - गुरदासपुर, पंजाब	लार्जव्हाइटयॉर्कशायर
5	खोवाल - होशियारपुर, पंजाब	लार्जव्हाइटयॉर्कशायर
6	डब्ल्यूबीएलडीसीहिंगहाटाफार्म, मोहनपुर, नदिया, पश्चिमबंगालकेतहतसुअरप्रजननफार्म	लार्जव्हाइटयॉर्कशायरडुरोक, लैंडरेस
7	डब्ल्यूबीएलडीसी, मोहितनगर, जलपाईगुड़ी, पश्चिमबंगालकेतहतसुअरप्रजननफार्म	लार्जव्हाइटयॉर्कशायर, डुरोक, लैंडरेस
8	सुअरप्रजननकेंद्र, केएलडीबोर्ड, एर्नाकुलम, केरल	लार्जव्हाइटयॉर्कशायर, 2. लैंडरेस 3. डुरोक ,4. एलडबल्यू यॉर्कशायर x लैंडरेसक्रॉस, 5. लैंडरेस x डुरोकक्रॉस,6.एलडबल्यू यॉर्कशायर x डुरोकक्रॉस 7. थ्री वे क्रोसेस

निजीसुअरप्रजननफार्म

क्र.सं.	फर्म का नाम
1.	धालीवाल सुअर फार्म संगरूर, पंजाब
2	हरप्रीत सिंह बठिंडा, पंजाब
3	जसवीर सिंह संगरूर, पंजाब
4	जगदीप सिंह एस एएसनगर, पंजाब
5	कुणाल शर्मा, डायमंडस्वाइनब्रीडरग्रामशंकरजिलाजालंधर, पंजाब
5.	वीरेंद्रसिंहघुमनसुअरफार्मडेराबाबानानक, गुरदासपुर, पंजाब
6.	खुल्लरसुअरफार्म, मुक्तसररोड, फिरोजपुर, पंजाब
7.	रंजीतपिगफार्म, विलेजजोनर, फिरोजपुर, पंजाब
8.	नूरपुरसुअरफार्म, गांवनूरपुर, सेठान, एफजेडआर, पंजाब
9.	मंजीतपिगफार्म, ग्राममानसिंहवाला, मुक्तसरसाहिब, पंजाब
10.	मछलीबागरासुअरफार्म, गांवमछलीबागरा, एफजेडआर, पंजाब
11.	सुलहानीसुअरफार्म, गांवसुल्हानी, एफजेडआर, पंजाब
12.	संदीपसुअरफार्म, ग्रामजयमलवाला, एफजेडआर, पंजाब
13.	राकेशपिगफार्म, जीरा, एफजेडआर, पंजाब
14.	अवतारसिंह, सालापुररोपड़, पंजाब
15.	शामलाल, मुंडीखरारमोहाली, पंजाब
16.	जसबीरसिंह, सेक्टर -23डीसीएचडी
17	जशनदीपसिंह, राजपुरा, पटियाला, पंजाब
18.	अमतेश्वर, मोहाली, पंजाब
19.	करमचंद, रोपड़, पंजाब
20.	दर्शन, सियालबामाजरी, पंजाब
21.	कुलतारसिंह, चांदपुरबेला, रोपड़, पंजाब
22.	अनिल, डेराबेसी, मोहाली, पंजाब
23.	आकाशदीपसिंह, शेकपुर, मोहाली, पंजाब
24.	दीपकसोहरता, बोझेरी, मोहाली, पंजाब

प्रमुखचाराबीजउत्पादकएजेंसियां

क्र.सं.	नाम
01	भाकृअनुप-भारतीयचरागाहएवंचाराअनुसंधानसंस्थान, झांसी, उत्तरप्रदेश
02	राज्यकृषिविश्वविद्यालय (63)
03	राष्ट्रीयबीजनिगमलिमिटेड

04	राज्यबीजनिगमलिमिटेड (13नग)
05	कृषिविज्ञानकेंद्र (722नग)
06	दुग्धसंघ/सहकारिता (18राज्य)
07	क्षेत्रीयचारास्टेशन, हिसार, चेन्नई, जम्मूऔरकश्मीर, हेसरघाट (बैंगलोर), कल्याणी (पश्चिमबंगाल), सूरतगढ़ (राजस्थान), हैदराबाद, धामरोड।
08	बीएआईएफ लिमिटेड
09	जेकेट्रस्ट,ठाणे महाराष्ट्र

नोट: उपरोक्त सूचियाँ सांकेतिक हैं और पूरी नहीं हैं। विभाग अनुरोध पर सूची जोड़ सकता है।सामग्री / इनपुट की खरीद खरीदारकी जिम्मेदारी पर है.

Government of India

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

Department of Animal Husbandry and Dairying